32वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2021–2022

bmtpc

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार

32वीं वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर–5ए, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

प्राक्कथन

मुझे निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकि संवर्द्धन परिषद्, जोकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, की वर्ष 2021–22 की 32वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व एवं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

वर्ष 1990 में अपनी स्थापना से बीएमटीपीसी आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रथाओं सहित संसाधन–दक्ष, जलवायु के प्रति उत्तरदायी टिकाऊ निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकियों को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। बीएमटीपीसी विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम निर्माण प्रौद्योगिकियों एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों तथा स्थानीय कौशल और प्रथाओं के आधार पर वैकल्पिक नवोन्मेशी निर्माण सामग्री और घटक क्षेत्र–स्तरीय अनुप्रयोगों में सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। भवन उद्योग में नवाचार लाने की अपनी यात्रा में, बीएमटीपीसी ने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को कई बार राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप ढाला है जिसने प्रयोगशाला विकास और क्षेत्र अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने में भरूपर सहायता की है। जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के दौरान, विश्व भर में वैकल्पिक एवं उभरती हुई निर्माण प्रणाली लाने का अभियान, जो न केवल गुणवत्तापरक टिकाऊ आवास की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करे, अपितु ढांचागत, व्यावहारिक तथा भारतीय मानकों के अनुसार सुरक्षा मानकों की महत्वपूर्ण स्तरों के अनुरूप भी हो, को व्यापक महत्व मिला। किफायती आवास उपलब्ध कराने के इस उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए, बीएमटीपीसी निरंतर सर्वोत्तम निर्माण प्रणालियों की जीएचटीसी–भारत के अंतर्गत पहचान कर अध्ययन एवं उनका मूल्यांकन कर रहा है और साथ ही उन्हें प्रमाणित भी कर रहा है। इन प्रणालियों को अब भारतीय भू–जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन निर्माण लाइट हाउस परियोजनाओं और राज्यों को समुचित सहायता प्रदान करते हुए क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोगों में क्रियान्वित किया जा रहा है। परिषद् के इन प्रयासों के लिए सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों तथा राज्य सरकारों से अच्छी प्रतिक्रियायें प्राप्त हुईं और ये नई प्रणालियां अब धीरे–धीरे गति पकड़ रही हैं व निर्माण परियोजनाओं में इनका उपयोग भी किया जा रहा है।

व्यापक जन समर्थन, बेहतर पहुंच और क्षेत्र में उभरती प्रणालियों के बेहतर उपयोग के लिए, बीएमटीपीसी को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन आवास परियोजनाऐं आरंभ करने का कार्य सौंपा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सब के लिए आवास मिशन के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता फैलाना और राज्यों में तकनीकी जानकारी का प्रचार–प्रसार करना है। इससे पूर्व, बीएमटीपीसी ने उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भुवनेश्वर, ओडिशा, बिहार शरीफ, बिहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद, तेलंगाना में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं को पूरा किया है एवं उनकों संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा जा चुका हैं। वर्ष के दौरान, पंचकुला, हरियाणा और अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं पूरी की गयी हैं एवं संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा जा चुका हैं। इसके अतिरिक्त बीएमटीपीसी ने अहमदाबाद, गुजरात, भोपाल, मध्य प्रदेश, गुवहाटी, असम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, चिंबेल, गोवा और तिरुपुर, तमिलनाडु में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं आरंभ की हैं। अहमदाबाद, गुजरात, भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। चिंबेल, गोवा, तिरुपुर, तमिलनाडु में परियोजनाओं को जमीन पर नहीं उतारा जा सका क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों ने क्रमशः स्थानीय लोगों आंदोलन के कारण और प्रशासनिक कारणों से परियोजना स्थल बदल दिये हैं और अभी तक जमीन नहीं सौंपी है। गुवाहाटी, असम और अयोध्या, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के लिए वास्तुशिल्प और संरचनात्मक रेखाचित्रों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

निर्माण क्षेत्र में नवोन्मेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गजट अधिसूचना (दिनांक 4 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र संख्या 49 में सं. I-16011/5/99 एच–II) के माध्यम से पीएसीएस के अंतर्गत, बीएमटीपीसी संभावी निर्माण प्रणालियों एवं नई सामग्रियों और उत्पादों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन करने का कार्य कर रही है। वर्ष के दौरान, वॉल्यूमेट्रिक (3डी) कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी (वीसीपीटी), प्री–इंजीनियर्ड निर्माण संरचना के साथ पीयूएफ सैंडविच पैनल और एवरेस्ट रैपिकॉन पैनल/सॉलिड वॉल पैनल जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) और कई उत्पादों/प्रणालियों के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान किये गये है और अनेक उत्पादों/प्रणालियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी तक, बीएमटीपीसी ने 77 उत्पादों/प्रणालियों के लिए विभिन्न उत्पादों, सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों को कार्य–निष्पादनता मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पीएसी) जारी किए हैं। मंत्रालय एवं बीएमटीसी के प्रयासों से सीपीडब्ल्यूडी ने कई उभरती प्रौद्योगिकियों पर विनिर्देश एवं दर अनुसूची जारी की है।

बीएमटीपीसी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की मिशन योजनाओं के लिए एक तकनीकी संसाधन संस्थान के रूप में सक्रियता के साथ सहयोग एवं काम कर रहा है और प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मूल्यांकन, निगरानी, तृतीय पक्ष निरीक्षण और निगरानी (टीपीआईएम) और यूएलबी के संचालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन का उद्देश्य राज्यों में सतत विकास के लिए नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाना है। बीएमटीपीसी टेक्नोलोजी सब–मिशन के सचिवालय की भांति काम कर रहा है और मंत्रालय और राज्यों को आपदा प्रतिरोधी, ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को परिनियोजित करने में सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी उप–मिशन की कई बैठकें आयोजित की गईं। भूकंप क्षेत्र IV और जोन V में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाएं संचालित करने के लिए परिषद को प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मूल्यांकन और निगरानीकर्ता एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। परिषद जन अवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और अपनाने में विभिन्न राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों की भी सहायता कर रही है।

बीएमटीपीसी ने वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत (जीएचटीसी–इंडिया) के संगठन में सबके लिए आवास मिशन निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तकनीकी भागीदार के रूप में मिलकर काम किया एवं इसे संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय करते हुए लाइट हाउस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी नामित किया गया है। जीएचटीसी–इंडिया के अंतर्गत, भविष्य की संभावित टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के साथ विश्व स्तर पर उपलब्ध नवोन्मेषी एवं प्रमाणित निर्माण तकनीकों पर एक्सपो सह सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। इस चुनौती के माध्यम से, 54 चयनित प्रमाणित तकनीकों की एक सेट बनाया गया है जिन्हें आगे छह व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को छः व्यापक वर्गों से विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, छः स्थानों पर अर्थात् इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एवं लखनऊ में निर्मित किए जा रहे छः लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के निष्पादन से प्रदर्शित किया जा रहा है। बीएमटीपीसी किसी भी प्रश्न के समाधान और एलएचपी के सुचारू संचालन के लिए

मंत्रालय के साथ गहन समन्वय में एजेंसियों के साथ नियमित रूप से निगरानी और वार्तालाप कर रहा है। जीएचटीसी–भारत के अंतर्गत किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा) – इंडिया के माध्यम से चिन्हित भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों को इनक्यूबेट और तेज करने की भी योजना बनाई गई है। परिषद् ने किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना और टेक्नोग्राहियों के ऑनलाइन अभियान के अंतर्गत तकनीकी सहायता भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त, बीएमटीपीसी ने जीएचटीसी–भारत के अंतर्गत टेक्नोग्राहियों के लिए ई–नॉलेज पैक भी विकसित किया है। टेक्नोग्राहियों को इस पैक में ऑनलाइन नामांकन किया जाता है और उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों पर ई–प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी क्रम में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जीआईजेड के सहयोग से एलएचपी में उभरती निर्माण प्रणालियों के उपयोग पर अनेक वेबिनार आयोजित किए गए। परिषद् ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नए शहरी भारत सम्मेलन सह एक्सपो के भाग के रूप में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला (आईएचटीएम) के आयोजन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सहायता भी की।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बीएमटीपीसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का सृजन किया है जो ऋणदाता एजेंसियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण एकत्रित करता है। एनयूएचएफ के लिए अतिरिक्त बजटीय संस्थानों (ईबीआर) द्वारा जुटाई गई निधियां बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्राप्त हो रही है जिसको आगे केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों और केंद्र षासित प्रदेशों को संवितरित किया जा रहा है साथ ही मिशन के सीएलएसएस वर्टिकल के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएज) को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। कार्यों की निगरानी एवं डेटा विश्लेषण, संकलन तथा प्रसारण व इलेक्ट्रोनिक रूप में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने एवं अनुकूल तरीके में स्थलीय दौरा/भौतिक सत्यापन करने के लिए बीएमटीपीसी के माध्यम से एक डेटा संसाधन सह निगरानी केंद्र (डीएमआरसी) भी स्थापित किया गया है।

बीएमटीपीसी एक प्रमुख विशिष्टता आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन है। बीएमटीपीसी इससे संबंधित तैयारी, रोकथाम एवं न्यूनीकरण में सक्रिय दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है और व्यावसायिकों को शिक्षित करने में सबसे आगे खड़ा है तथा विभिन्न पणधारकों के साथ आम आदमी सहित सामूहिक जागरूकता फैलाने के कार्यों में लगा हुआ है। लोगों में प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरूकता और समझ फैलाने के उद्देश्य से योजना और वास्तुकला स्कूल (एस.पी.ए.), नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत का अतिसंवेदनशीलता मानचित्र, विभिन्न खतरों से संबंधित अतिसंवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है इसके तीसरे डिजिटल संस्करण का विमोचन माननीय प्रधान मंत्री ने किया था। बीएमटीपीसी अपने अभियंताओं और वास्तुकारों को पाठ्यक्रम आरंभ करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश देने के लिए पणधारकों और विभागों के साथ निरंतर मिलकर काम कर रहा है।

विश्व पर्यावास दिवस, 2021 के अवसर पर, परिषद् ने इस वर्ष तीन पुस्तकें प्रकाशित की (i) विश्व पर्यावास दिवस 2021 के विषय पर समाचार पत्र ''निर्माण सारिका'' का विशेषांक ''यूएन–हैबिटेट द्वारा चुने गए कार्बन मुक्त विश्व के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी' (ii) उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका का चतुर्थ संस्करण एवं (iii) निर्माण प्रौद्योगिकियों पर बीएमटीपीसी और सीएसआईआर–सीबीआरआई सार–संग्रह। निर्माण क्षेत्र में ज्ञान के आधार को सुदृढ़ बनाने के क्रम में, परिषद् की वेबसाइट का नियमित अंतराल पर, नवीनतम गतिविधियों एवं सूचनाओं के साथ अद्यतन किया जा रहा है। वेबसाइट पर उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में सामान्य पूछताछ के रूप में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही है। बीएमटीपीसी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से उभरती निर्माण प्रणालियों के क्षेत्र में व्यावसायिकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए नवरीति : नवोन्मेशी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है। अब तक नवरीति के नौ बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है जिसमें 858 प्रतिभागियों, मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरों, वास्तुकारों, संकाय और विभिन्न इंजीनियरिंग और वास्तकुला कॉलेजों के छात्रों ने सहभागिता की। परिषद् नवोन्मेशी निर्माण सामग्री और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटरः @bmtpcdelhi; फेसबुकः @bmtpc.mhua; यूट्यूबः BMTPC) का उपयोग भी कर रही है।

यह मेरा सौभाग्य है कि बीएमटीपीसी द्वारा आरंभ किए गये और क्रियान्वित किए गये विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अध्यक्ष (माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री), प्रबंधन मंडल के सदस्यों, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष (सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) और बीएमटीपीसी की कार्यकारी समिति के सदस्यों तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से परिषद् को बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। बीएमटीपीसी नीति आयोग, शहरी विकास पर स्थायी संसदीय समिति, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिषन निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों, गृह मंत्रालय, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, एनडीएमए, एनआईडीएम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डीएसटी, सीएसआईआर, आईआईटी, सीईपीटी, आईपीआईआरटीआई, सीबीआरआई, एसईआरसी, आईसीआई, एसपीए, हड़को, बीआईएस, एनएचबी, एनसीएचएफ, एनबीसीसी, डीडीए, सीजीआईडब्ल्यूएचओ, सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी, सीआईडीसी, एवं आरआईसीएस, स्कूल ऑफ बिल्ट इनवार्यनमैंट को उनके द्वारा दिये गये निरंतर सहयोग और आगामी वर्षों में परिषद् के प्रयासों का समर्थन करने में रुचि लेने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता है।

मैं परिषद् के क्रियाकलापों का समय पर कार्यान्वयन करने में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये गये सहयोग की भी हृदय से सराहना करता हूँ। परिषद् आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त समर्थन और सहयोग के प्रति आभार करती है, जिसने परिषद् को सौंपे गये कार्य (मेनडेट) को पूरा करने और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में परिषद् की सहायता की।

शैलेश कु॰ अग्रवाल

(डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक

विषय–सूची

मिशन एवं ध्येय ..... **I**

प्रस्तावना **2**

वर्ष 2021–2022 के दौरान मुख्य पहलें एवं गतिविधियां **7**

I. उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए मॉडल प्रदर्शन निर्माण **7**
1. देश के विभिन्न भागों में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजनाए 7

II. प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन **16**
1. प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के क्रियान्वयन में बीएमटीपीसी की भूमिका 16

III. राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन **22**

IV. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन **23**
1. भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम 23
2. भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर वेबिनार का आयोजन 23
3. भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर डेटा साझा करना 24
4. नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (एनयूएलपी) पर भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम का आयोजन 24

V. निर्माण क्षेत्र में सूचना एवं डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण **26**
1. ''निर्माण सारिका'' का प्रकाशन – बीएमटीपीसी न्यूजलेटर का विशेषांक 26
2. उभरती निर्माण प्रणाली पर लघु पुस्तिका का प्रकाशन–चतुर्थ संस्करण 26
3. निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सार संग्रह का प्रकाशन 27
4. भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेले में दर्शाई गई स्वदेशी निर्माण सामग्री एवं निर्माण पर सार संग्रह का प्रकाशन 28
5. मानकीकरण एवं उत्पाद मूल्यांकन 29
6. परिषद् की वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रचार–प्रसार 31

VI. प्रौद्योगिकी की पहचान, स्थानांतरण एवं संवर्धनात्मक गतिविधियां **32**
1. उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान एवं मूल्यांकन 32
2. नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 33
3. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली की ''मास्टर ऑफ प्लानिंग'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम 35
4. लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) में उभरती निर्माण प्रणालियों के उपयोग पर वेबिनार 35
5. रचना (राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से लचीली, किफायती एवं आरामदायक आवास) 37
6. विश्व पर्यावास दिवस 2021 समारोह 37

VII. संगठन **38**

VIII. कर्मचारियों की संख्या (यथा 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार) **40**

IX. लेखा **41**

अनुबंध

I. सवर्धनात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता 61

II. प्रस्तुतिकरण सहित प्रस्तुत/प्रकाशित आलेख आदि 66

III. वर्ष के दौरान प्रकाशित पुस्तकें 69

ध्येय

"बीएमटीपीसी, आम आदमी पर विशेष ध्यान देते हुए आपदा रोधी निर्माण सहित सुस्थिर निर्माण सामग्रियों और उचित प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों के क्षेत्र में सभी के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान (नॉलेज) तथा प्रदर्शन (डिमोंस्ट्रेशन) केन्द्र (हब) बने।"

मिशन

"आवास के सुस्थिर विकास के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों सहित संभावित लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आपदा रोधी निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन और प्रयोगशालाओं से जमीन तक इनके अंतरण के लिए व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण बनाने की दिशा में कार्य करना"

प्रस्तावना

वर्ष 1990 में स्थापित निर्माण सामग्री एंव प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत संगठन है। बीएमटीपीसी को बड़े पैमाने पर क्षेत्र अनुप्रयोग हेतु उभरती निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियो सहित संसाधन–दक्ष, जलवायु उत्तरदायी, आपदा रोधी निर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के कार्य सौंपे गये हैं। बीएमटीपीसी, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन सहित नवोन्मेषी निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रणाली के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मंत्रालय के संसाधन संस्थानों में से एक है।

अपनी स्थापना के बाद से, बीएमटीपीसी प्रयोगशाला से लेकर भूमि तक निर्माण सामग्री और आवास प्रौद्योगिकियों के सफल हस्तांतरण के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, विदेशी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाता आया है। परिषद् निर्माण उद्योग में नवीन, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल वैकल्पिक निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का भी प्रयास कर रही है।

उभरती हुई निर्माण प्रणालियों के क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने और पणधारकों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, परिषद् देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य संरचनाओं सहित मॉडल प्रदर्शन घरों का निर्माण भी करती है। प्रौद्योगिकी विकास, संवर्धन और प्रचार–प्रसार प्रयासों के संबंध में, परिषद् ने बांस आधारित आवास समाधान सहित आवास और भवन निर्माण में उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकों को बढ़ावा दिया है।

हाल के वर्षों में परिषद् ने न केवल स्थायी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी पहुंच का विस्तार किया है बल्कि किफायती सामूहिक आवास के लिए देश और विदेश से उभरती हुई औद्योगिक आवास प्रणालियों का प्रचार भी किया है। मंत्रालय के साथ परिषद् विभिन्न उन उभरती प्रौद्योगिकियों को पेश करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, जो विश्व में कहीं और सफल हैं ताकि आवास निर्माण में संसाधन दक्षता, अर्थव्यवस्था, गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण, गति और स्थायित्व लाया जा सके।

बीएमटीपीसी आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है और एनडीएमए, एनआईडीएम और अन्य संस्थानों के साथ निकट संपर्क में काम कर रहा है। 1997 और 2006 में भारत का पहला अतिसंवेदनशीलता मानचित्र प्रकाशित करने के अलावा, परिषद् ने 2019 में भारत के अपने अतिसंवेदनशीलता मानचित्र का तीसरा संस्करण निकाला, जिसका विमोचन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।

भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के लिए, परिषद् ने आवास और अवसंरचना क्षेत्र में काम करने वाले अभियंताओं, वास्तुकारों और अन्य पणधारकों के लिए डिजाइन किए गए वेबिनार का आयोजन किया। योजना एवं वास्तुकला विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम भी आरंभ किया गया जिसका शुभारंभ माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा किया गया था। इसके अलावा, परिषद् नियमित रूप से आपदा प्रतिरोधी निर्माण पर बहुमूल्य दिशानिर्देश/नियमावली प्रकाशित करती है। भूकंप संबंधी तैयारियां और भूकंप प्रतिरोधी निर्माण प्रथाओं और भूकंपीय रेट्रोफिटिंग का प्रचार–प्रसार करने के लिए, परिषद् ने लाइफ लाइन भवन सहित कुछ भवनों की रेट्रोफिटिंग की है और व्यावसायिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये।

मंत्रालय की तकनीकी एजेंसी होने के कारण, बीएमटीपीसी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन के अधीन विभिन्न क्रियाकलाप संचालित करने का कार्य सौंपा गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी

उप–मिशन का उद्देश्य राज्यों में सतत विकास के लिए नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाना है। बीएमटीपीसी टेक्नोलोजी सब–मिशन के सचिवालय की भांति काम कर रहा है और मंत्रालय और राज्यों को आपदा प्रतिरोधी, ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को परिनियोजित करने में सहायता कर रहा है। भूकंप क्षेत्र IV और जोन V में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाएं संचालित करने के लिए परिषद् को प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मूल्यांकन और निगरानीकर्ता एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। परिषद् जन अवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और अपनाने में विभिन्न राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों की भी सहायता कर रही है। बीएमटीपीसी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत (जीएचटीसी–इंडिया) में तकनीकी भागीदार भी है।

जीएचटीसी–इंडिया के अंतर्गत चुनी गई प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को पूरे भारत में छह स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय में एलएचपी के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा परिषद् को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। परिषद् किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा) – इंडिया के माध्यम से चिन्हित भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों के ऊष्मायन और त्वरण में भी जुड़ी हुई है। परिषद् ने टेक्नोग्राही और किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना में मंत्रालय को अपना तकनीकी समर्थन भी दिया। बीएमटीपीसी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से उभरती निर्माण प्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों (पेशेवरों) के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से नवरीतिःनवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है जिसका शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री ने किया था।

बीएमटीपीसी में अंतर्गत एक राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का सृजन किया है जो ऋणदाता एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों से ऋण एकत्रित करता है। एनयूएचएफ के लिए अतिरिक्त बजटीय संस्थानों (ईबीआर) द्वारा जुटाई गई निधियां बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्राप्त हो रही है जिसको आगे केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित किया जा रहा है साथ ही मिशन के सीएलएसएस वर्टिकल के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएज) को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। कार्यों की निगरानी एवं डेटा विश्लेषण, संकलन तथा प्रसारण व इलेक्ट्रोनिक रूप में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने एवं अनुकूल तरीके में स्थल का दौरा/भौतिक सत्यापन करने एवं जागरूकता फैलाने के अन्य क्रियाकलापों के लिए बीएमटीपीसी द्वारा डेटा संसाधन सह निगरानी केंद्र (डीएमआरसी) भी संचालित किया जा रहा है। डीआरएमसी के सुचारू संचालन के लिए में विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों के साथ बीएमटीपीसी अधिकारियों की एक समर्पित टीम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में कार्यरत है।

उद्देश्य

परिषद् के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ***भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियां:*** निर्माण क्षेत्र में प्रमाणित नवोन्मेषी एवं उभरती निर्माण सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास, मानकीकरण, यंत्रीकरण तथा बड़े पैमाने पर जमीनी अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।
- ***क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास:*** व्यावसायिकों, निर्माण एजेंसियों, कारीगरों हेतु क्षमता निर्माण एवं उचित निर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र के रूप में काम करना तथा भवन प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से जमीन तक लाने के लिए विपणन करना।
- ***आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन:*** प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, अतिसंवेदनशीलता तथा जोखिम कम करने की प्रौद्योगिकियों एवं कार्य–प्रणालियों को बढ़ावा देना और भवनों का रेट्रोफिटिंग/

पुनर्निमाण तथा मानव बस्तियों के लिये आपदा प्रतिरोधी योजना बनाना।

➢ ***परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श:*** केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत संचालित आवास परियोजनाओं का मूल्यांकन, निगरानी तथा तीसरे पक्ष का निरीक्षण सहित परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी सेवाएं देना।

प्रमुख कार्य क्षेत्र

अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, बीएमटीपीसी ने अपनी गतिविधियों के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:

- राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय तौर पर आवास क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रमाणित एवं उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, उसका मूल्यांकन करना एवं उसे बढ़ावा देना।
- निर्माण में गति, किफायत, कुशलता एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना।
- प्रौद्योगिकियों को प्रोन्नत करने, जानकारी जुटाने, आत्मसात करने तथा प्रसार करते हुए प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग हेतु सामर्थ्यकारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- प्रदर्शन संरचना के माध्यम से प्रमाणित, स्थानीय तौर पर उपलब्ध एवं उभरती प्रौद्योगिकियों हेतु पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष तथा आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों का जमीनी स्तर पर अनुप्रयोग।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकी/प्रणाली सहित प्रमाणित भवन निर्माण सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों पर विनिर्देशों, अनुसूचियों और मानकों का नियमन।
- लागत प्रभावी (सस्ती) एवं नवोन्मेषी भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकियों के लाभ, टिकाऊपन एवं स्वीकार्यता का दस्तावेजीकरण।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोश्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्षनियों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिकों एवं निर्माण कामगारों के कौषल को संवर्धित करना।
- आपदा रोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत डेटा संसाधन सह निगरानी केन्द्र (डीएमआरसी) के प्रचालन की जिम्मेदारी सहित आवास परियोजनाओं का मूल्यांकन, निगरानी तथा तृतीय पक्षकार निरीक्षण करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अतिरिक्त बजटीय संसाधन के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन।
- परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी सेवाएं
- सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण सहित उपयोगकर्ता पुस्तक, दिषानिर्देष, सार–संग्रह, निर्देषिका, विवरणिका, तकनीकी–व्यवहार्यता रिपोर्ट, वीडियो फिल्म, प्रदर्शन सीडी, इंटरेक्टिव वेबसाइट, ब्लॉग का प्रकाशन।

प्रशासन एवं प्रबंधन

बीएमटीपीसी त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाकर अपने प्रशासनिक एवं तकनीकी दायित्वों का निर्वहन करता है जो निम्नानुसार है:

i. प्रबंधन बोर्ड जिसके अध्यक्ष माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं।

ii. कार्यकारी समिति जिसके अध्यक्ष सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय हैं।

iii. कार्यकारी निदेशक जो बीएमटीपीसी के प्रमुख हैं।

परिषद् के प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न मंत्रालयों एवं संबंधित संगठनों के 16 सदस्य शामिल हैं। कार्यकारी समिति में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) एवं तकनीकी विशेषज्ञों से 8 सदस्य शामिल हैं। प्रबंधन बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

प्रबंधन मंडल

(यथा 31.3.2022)

क्रम सं.	सदस्यगण	
1	श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2	श्री कौशल किशोर, माननीय राज्य मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3	श्री मनोज जोशी, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
4	श्री कुंदन कुमार, सलाहकार (शहरीकरण वर्टीकल) नीति आयोग, भारत सरकार	सदस्य
5	श्री कामरान रिज़वी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको)	सदस्य
6.	श्री बी.बी. स्वैन, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7	डा. श्रीवरि चन्द्रशेखर, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
8	डॉ. लोक रंजन, सचिव, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
9	श्री कमल किशोर, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार	सदस्य
10	डॉ. शेखर सी. मांडे, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार	सदस्य
11	श्री शैलेन्द्र शर्मा, महानिदेशक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार	सदस्य
12	प्रो. के एन सत्यनारायण, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), तिरुपति	सदस्य
13	प्रो. सुधीर के जैन, पूर्व निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधीनगर एवं उप–कुलपति बनारस हिंदु विश्वविद्यालय	सदस्य
14	श्री सुरेन्द्र कुमार बागड़े, अतिरिक्त सचिव (आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य

क्रम सं.	सदस्यगण	
15	श्री श्याम एस. दुबे, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16	श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
17	डॉ. शैलेश कु. अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक निर्माण सामग्री एंव प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी)	सदस्य–सचिव

कार्यकारी समिति

(यथा 31.03.2022)

क्रम सं.	सदस्यगण	
1	श्री मनोज जोशी सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2	श्री सुरेन्द्र कुमार बागड़े अतिरिक्त सचिव (आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3	श्री श्याम एस. दुबे, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4	श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5.	श्री कामरान रिज़वी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको)	सदस्य
6.	डॉ. अंजन राय, निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	सदस्य
7.	प्रो. प्रदिप्ता बनर्जी, प्रमुख, शहरी विज्ञान एवं अभियांत्रिकी केन्द्र, सिविल अभियांत्रिकी विभाग, आईआईटी, मुम्बई	सदस्य
8.	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक निर्माण सामग्री एंव प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी)	सदस्य–सचिव

वर्ष 2021–2022 के दौरान की गई प्रमुख पहलें/प्रयास एवं गतिविधियां

I. उभरती प्रौद्याोगिकियों का उपयोग करते हुए मॉडल प्रदर्शन निर्माण

1. देश के विभिन्न हिस्सों में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजनाएं

जमीनी स्तर पर किसी नवाचार के हस्तांतरण करने के लिए, प्रदर्शन निर्माण के माध्यम से उसे प्रदर्शित करना और साथ ही जागरूकता फैलाना, पेशेवरों और कारीगरों को शिक्षित करना नितांत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आष्य के साथ, बीएमटीपीसी को प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रौद्योगिकी उप–मिशन के अंतर्गत प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) नामक मॉडल आवास परियोजनाओं के निर्माण कार्य सौंपा गया है।

देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक प्रौद्योगिकियों के स्थान पर दूसरी प्रौद्योगिकियों को लाने में व्यापक प्रसार और नई/वैकल्पिक और टिकाऊ निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यह विश्वास पैदा करने और देश के विभिन्न भू–जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल ऐसी सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सामर्थ्यकारी माहौल बनाने में भी सहायता करता है, इस प्रकार आवास को अधिक किफायती और सुलभ बनाता है। इससे पूर्व, भुवनेश्वर, ओडिशा, बिहारशरीफ, बिहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद, तेलंगाना में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं एवं संबंधित राज्य सरकारों को सौंपी जा चुकी हैं। वर्ष के दौरान, पंचकुला, हरियाणा और अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं एवं संबंधित राज्य सरकारों को सौंपी जा चुकी हैं।

वर्ष के दौरान, बीएमटीपीसी ने बोली प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत अहमदाबाद, गुजरात, भोपाल, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, असम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, चिंबेल, गोवा और तिरुप्पुर, तमिलनाडु में प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) का निर्माण कार्य आरंभ किया। अहमदाबाद, गुजरात, भोपाल, मध्य प्रदेश में डीएचपी में निर्माण कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है। चिंबेल, गोवा, तिरुपुर, तमिलनाडु में परियोजनाओं को जमीन पर नहीं उतारा जा सका क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों ने क्रमशः स्थानीय लोगों और प्रशासनिक कारणों से आंदोलन के कारण परियोजना स्थलों को बदल दिया है और अभी तक जमीन नहीं सौंपी है। गुवाहाटी, असम और अयोध्या, उत्तर प्रदेश में डीएचपी के लिए वास्तुशिल्प और संरचनात्मक आरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चल रही परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

अहमदाबाद, गुजरात में प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- स्थानः विवेकानंद नगर, हाथीजन, अहमदाबाद
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसीः किफायती आवास मिशन, अहमदाबाद
- भूमि आबंटनकर्ताः गुजरात आवास बोर्ड
- उपयोगः प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी
- परियोजना के भूखण्ड का क्षेत्रफलः 3400 वर्गमीटर
- आवासों की संख्या : 40 (जी+2)
- प्रत्येक इकाई का कारपेट एरियाः 35.78 वर्गमीटर
- प्रत्येक इकाई का निर्मित क्षेत्रफल : 51.42 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल : 2179 वर्गमीटर
- प्रयुक्त तकनीकः प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली – इंटीग्रेटेड हाइब्रिड सॉल्यूशन–वन
- प्रत्येक इकाई में एक बैठक, शयन कक्ष, लॉबी, रसोई, स्नानघर, डब्ल्यूसी, बरामदा और धुलाई–सफाई के लिए अलग क्षेत्र शामिल है।
- भूकंप रोधी विशेषताओं से युक्त

दीवारों के दोनों ओर फाइबर सीमेंट बोर्ड और रॉक वूल के भरान के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस) का उपयोग करते हुए पंचकुला, हरियाणा में बीएमटीपीसी द्वारा पीएमएवाई (यू) के तहत प्रदर्शन आवास परियोजना (कामकाजी महिला छात्रावास)

स्ट्रक्चरल स्टे इन प्लेस स्टील फॉर्मवर्क का उपयोग करते हुए अगरतला, त्रिपुरा में बीएमटीपीसी द्वारा पीएमएवाई (यू) के तहत निर्मित प्रदर्शन आवास परियोजना (निराश्रित महिलाओं के लिए छात्रावास)

- अवसंरचना सुविधाएंः सीसी रोड, कंक्रीट पेवर्स के रास्ते, जल–कल कार्य, यूजीटी, सेप्टिक टैंक, बागवानी कार्य, जल निकासी और निस्तारण और सौर पैनलों का उपयोग करके बाहरी विद्युतीकरण, वर्षा जल संचयन, अग्निशमन प्रणाली, आदि।

उपयोग की जा रही तकनीकः

नींव

- प्लिंथ बैंड के साथ स्ट्रिप नींव

दीवार

- वजन सहने में सक्षम इंटरलॉकिंग ब्लॉक (हाइड्रा फॉर्म ब्लॉक)

लैब/छत

- कंक्रीट स्क्रीड के साथ प्रीकास्ट आरसी प्लांक और जॉइस्ट सिस्टम।

चौखट/शटरः

- फ्लश शटर के साथ दाबित (प्रेस्ड) स्टील

चौखट

- शौचालयों में पीवीसी शटर के साथ पीवीसी चौखट

खिड़की की चौखट/शटरः

- ग्लेज्ड पैनल और वायर मेश शटर के साथ यूपीवीसी चौखट

फर्शः

- कमरे और रसोई में विट्रिफाइड टाइल फर्श
- स्नानागार और डब्ल्यूसी में एंटी–स्किड सिरेमिक टाइलें
- कॉमन एरिया / सीढ़ियों में कोटा पत्थर के फर्श

दीवार सज्जा/फिनिशिंगः

- बाहरी दीवारों पर वेदर प्रूफ एक्रेलिक इमल्शन पेंट
- अंदरुनी दीवारों पर पीओपी के ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर

अन्यः

- बिजली के फिक्स्चर जैसे पंखे, एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, एक्जौस्ट फेन, अलमारी में और किचन कैबिनेट के नीचे लकड़ी के केबीनेट।

भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- स्थानः एसपीएनआईयूएम परिसर, भौरी, भोपाल
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी : नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, भोपाल
- भूमि आबंटनकर्ताः नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, भोपाल
- उपयोगः खेल–छात्रावास
- परियोजना के भूखण्ड का क्षेत्रफलः 2709 वर्गमीटर
- आवासों की संख्या : 40 (जी+3); अन्य प्रावधानों में शौचालय के साथ कार्यालय, रसोई और भंडार कक्ष के साथ भोजन कक्ष, शौचालय के साथ कॉमन कक्ष, शौचालय के साथ चिकित्सा कक्ष, केयर टेकर कक्ष, गतिविधि कक्ष और लॉंड्री शामिल हैं।
- प्रत्येक इकाई का कारपेट एरियाः 29.05 वर्गमीटर
- प्रत्येक इकाई का निर्मित क्षेत्र : 34.15 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्र : 2180 वर्गमीटर
- प्रयुक्त तकनीकः स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम – इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्म (आईसीएफ)।
- प्रत्येक इकाई में एक कमरा, ड्रेसिंग, संयुक्त स्नानागार और शौचालय और बालकनी है।
- भूकंप रोधी विशेषताएं से युक्त
- अवसंरचना सुविधाएंः सीसी रोड, कंक्रीट पेवर्स के रास्ते, जल–कल कार्य, यूजीटी, सेप्टिक टैंक, बागवानी कार्य, जल निकासी और निस्तारण और सौर पैनलों का उपयोग करके बाहरी विद्युतीकरण, वर्षा जल संचयन, अग्निशमन प्रणाली, आदि।

उपयोग की जा रही तकनीकः

नींवः

- प्लिंथ बीम के साथ आइसोलेटेड आरसीसी कॉलम/स्ट्रिप फुटिंग

दीवार

- इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्म (आई सीएफ) कंक्रीट से भरे एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन (ईपीएस) ब्लॉक।

स्लैब/छत

- विनिर्देशों के अनुसार आरसीसी स्लैब/छत

चौखट/शटरः

- फ्लश शटर के साथ प्रेस्ड स्टील चौखट
- शौचालयों में पीवीसी शटर के साथ पीवीसी चौखट

खिड़की की चौखट/शटरः

- ग्लेज्ड पैनल और वायर मेश शटर के साथ यूपीवीसी चौखट

उभरती प्रौद्योगिकी – इंटीग्रेटेड हाइब्रिड सॉल्यूशन–वन का उपयोग करते हुए अहमदाबाद, गुजरात में निर्माणाधीन प्रदर्शन आवास परियोजना

इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्म ब्लॉक का उपयोग करते हुए भार वहन करने वाली मॉनोलीथिक दीवारों का उपयोग करके भोपाल, मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन प्रदर्शन आवास परियोजना

फर्श:

- कमरे और रसोई में विट्रिफाइड टाइल फर्श
- स्नानागार और डब्ल्यूसी में एंटी–स्किड सिरेमिक टाइलें
- कॉमन एरिया सीढ़ियों में कोटा पत्थर के फर्श

फिनिशिंग:

- बाहरी दीवारों पर वेदर प्रूफ एक्रेलिक इमल्शन पेंट
- अंदरुनी दीवारों पर पीओपी के ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर

अन्य:

- बिजली के फिक्स्चर जैसे पंखे, एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, एक्जौस्ट फेन, अलमारी में और किचन कैबिनेट के नीचे लकड़ी के केबिनेट।

गुवाहाटी, असम में प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- स्थान: फाटाषिल अम्बारी, गुवाहाटी
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी: मिशन निदेशक, एचएफए(यू)–असम, गुवाहाटी
- भूमि आबंटनकर्ता: गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी)
- उपयोग: जीएमसी के संविदागत सफाई कर्मचारी के लिए किराये का आवास
- परियोजना के भूखण्ड का क्षेत्रफल: 1600 वर्गमीटर
- आवासों की संख्या : 40 (जी+3)
- सामुदायिक केंद्र का निर्मित क्षेत्र 336 वर्गमीटर है। रसोई, कार्यालय, ग्रीन रूम, दुकानों और शौचालय के साथ एक मंजिला बहुउद्देशीय हॉल शामिल है।
- प्रत्येक इकाई का कारपेट एरिया: 31.06 वर्गमीटर
- प्रत्येक इकाई का निर्मित क्षेत्रफल : 36.09 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल : 2190 वर्गमीटर सामुदायिक केन्द्र सहित
- प्रयुक्त तकनीक: लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम – वी–इनफिल दीवारों के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस)
- प्रत्येक इकाई में एक बैठक, एक षयन कक्ष, एक रसोई, एक स्नानागार, एक डब्ल्यूसी, एक लॉबी और एक बालकनी है।
- भूकंप रोधी सुविधा से युक्त
- अवसंरचना सुविधाएं: सीसी रोड, कंक्रीट पेवर्स के रास्ते, जल–कल कार्य, यूजीटी, सेप्टिक टैंक, बागवानी कार्य, चारदीवारी, नलकूप, जल निकासी और निपटान और सौर पैनलों का उपयोग करके बाहरी विद्युतीकरण, वर्षा जल संचयन, अग्निशमन प्रणाली, आदि।

उपयोग की जा रही तकनीक:

नींव:

- प्लिंथ बीम के साथ पाइल फाउंडेशन/आइसोलेटेड आरसीसी कॉलम फुटिंग

दीवार:

- वी–इनफिल दीवारों के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस)
- जिप्सम बोर्ड की फाल्स सीलिंग के साथ वेब जॉइस्ट पर एमएस डेक शीट के साथ लाइट गेज स्टील रूफ ट्रस

चौखट / षटर:

- प्रेस्ड स्टील चौखट में फिट किया गया फ्लष दरवाजा चौखट
- शौचालयों में एफआरपी दरवाजा चौखट और षटर
- कमरों और शौचालयों में ग्लेज्ड पैनल और वायर मेश शटर के साथ यूपीवीसी खिड़की चौखट

फर्श:

- कमरे, रसोई और बॉलकोनी में विट्रिफाइड टाइल फर्श
- पेंट्री/रसोई काउंटर पर मार्बल पत्थर
- शौचालय में एंटी–स्किड सिरेमिक टाइलें
- कॉमन एरिया और सीढ़ी में कोटा पत्थर का फर्श

दीवार की फिनिषिंग

- बाहरी दीवारों पर वेदर प्रूफ पेंट
- अंदरूनी दीवारों पर पुट्टी के ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर

अन्य:

- बिजली के फिक्स्चर जैसे पंखे, एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, एक्जौस्ट फेन, अलमारी में और किचन कैबिनेट के नीचे लकड़ी के दरवाजे

अयोध्या, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- स्थान: विलेज मलिकपुर, परगना अवध, तहसील सदर, जनपद, अयोध्या
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी: राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए), लखनऊ

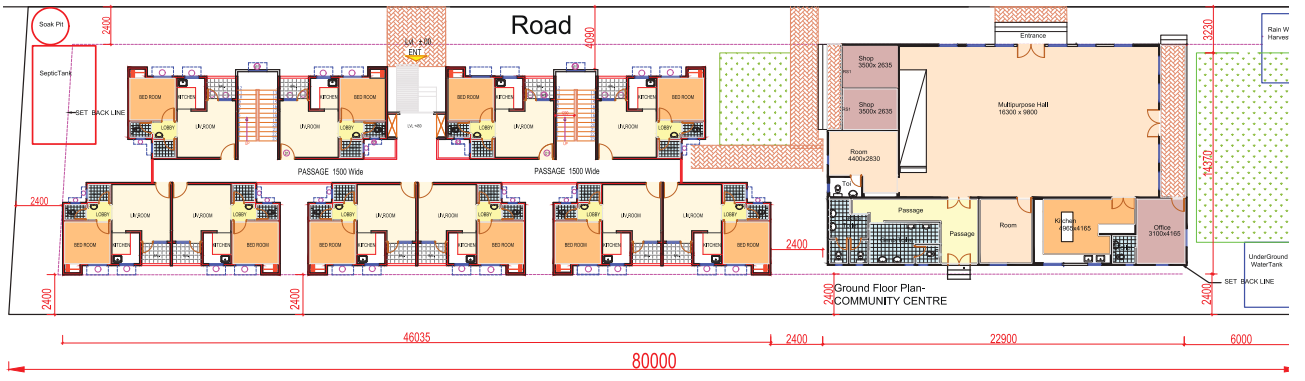

Layout cum Typical Floor Plan

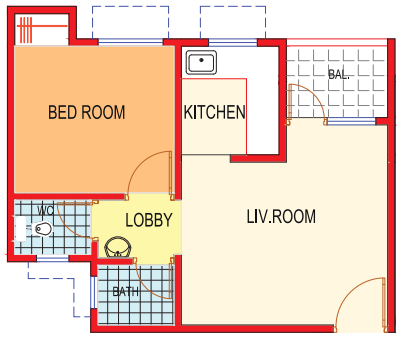

Typical Dwelling Unit Plan

Community Centre Plan

वी–इनफिल कंक्रीट दीवार के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए जीएमसी के संविदात्मक सफाई कर्मचारियों के लिए घर एवं सामुदायिक केन्द्र की गुवाहाटी, असम में प्रदर्शन आवास परियोजना की लेआउट योजना

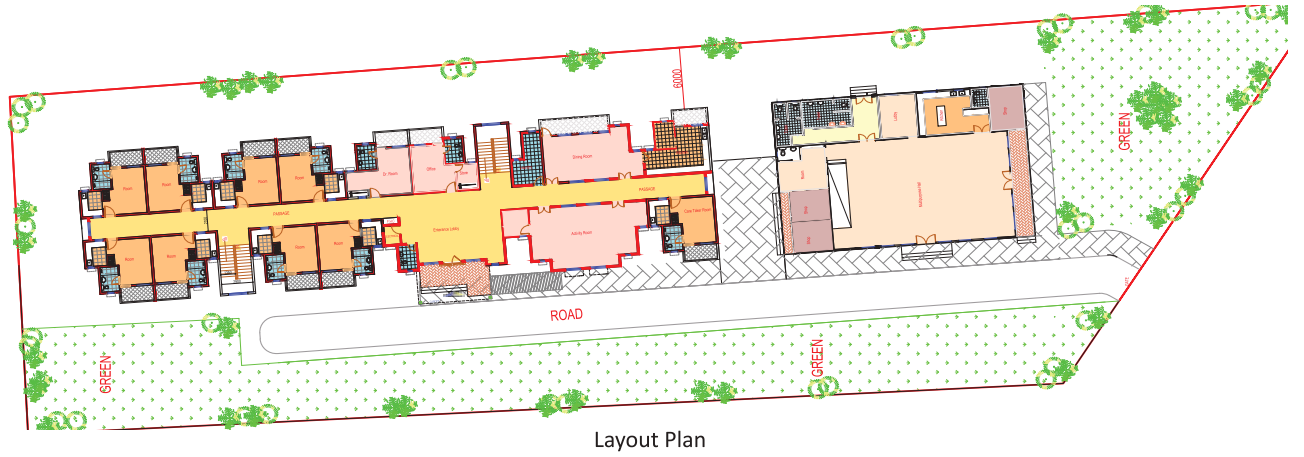

Layout Plan

Typical Dwelling Unit Plan

Community Centre Plan

अयोध्या, उत्तर प्रदेश में निराश्रित विधवा आश्रम और अनाथालय के लिए सीमेंट फाइबर बोर्ड और खनिज ऊन के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेम संरचना का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजना (जी+2) एवं सामुदायिक केंद्र की लेआउट योजना

- भूमि आबंटनकर्ताः महिला कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग, अयोध्या
- उपयोगः निराश्रित विधवा आश्रम और अनाथालय
- परियोजना के भूखण्ड का क्षेत्रफलः 3600 वर्गमीटर
- आवासों की संख्या रू 40 (जी+2): अन्य प्रावधानों में किचन और स्टोर के साथ डाइनिंग हॉल, शौचालय के साथ कॉमन रूम, सामान्य कार्यालय, शौचालय के साथ मेडिकल रूम, केयर टेकर रूम, एक्टिविटी रूम और लॉन्ड्री शामिल हैं।
- सामुदायिक केंद्र का निर्मित क्षेत्र 342 वर्गमीटर है। रसोई, कार्यालय, ग्रीन रूम, दुकानों और शौचालय के साथ एक मंजिला बहुउद्देशीय हॉल शामिल है।
- प्रत्येक इकाई का कारपेट एरियाः 29.47 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल : 34.34 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल : 2661 वर्गमीटर सामुदायिक केन्द्र सहित
- प्रयुक्त तकनीकः लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम – लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस)
- प्रत्येक इकाई में कमरे के साथ जुड़े शौचालय के साथ पेंट्री और बालकनी सम्मिलित है।
- भूकंप रोधी सुविधा से युक्त
- अवसंरचना सुविधाएंः सीसी रोड, कंक्रीट पेवर्स के रास्ते, जल–कल कार्य, यूजीटी, सेप्टिक टैंक, बागवानी कार्य, चारदीवारी, नलकूप, जल निकासी और निपटान और सौर पैनलों का उपयोग करके बाहरी विद्युतीकरण, वर्षा जल संचयन, अग्निशमन प्रणाली, आदि।

उपयोग की जा रही तकनीकः

नींवः

- प्लिंथ बीम के साथ पाइल फाउंडेशन/आइसोलेटेड आरसीसी कॉलम फुटिंग

दीवार

- सीमेंट फाइबर बोर्ड और इन्फिल के रूप में रॉक वूल के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेम संरचना।

छत

- स्क्रीड कंक्रीट के साथ लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर पर डेक शीट।

चौखट/शटरः

- प्रेस्ड स्टील दरवाजा चौखट में जुड़े फ्लश डोर शटर्स
- शौचालय में पीवीसी चौखट और शटर
- कमरों और शौचालयों में ग्लेज्ड पैनल और वायर मेश शटर के साथ यूपीवीसी खिड़की चौखट

फर्श

- कमरों, पैंट्री और बालकनी में विट्रिफाइड टाइल फ्लोरिंग
- पेंट्री/रसोई काउंटर पर मार्बल पत्थर
- शौचालय में एंटी–स्किड सिरेमिक टाइलें
- कॉमन एरिया और सीढ़ी में कोटा पत्थर का फर्श

दीवार की फिनिशिंग

- बाहरी दीवारों पर वेदर प्रूफ पेंट
- अंदरूनी दीवारों पर पुट्टी के ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर

अन्यः

- बिजली के फिक्स्चर जैसे पंखे, एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, एक्जौस्ट फेन, अलमारी में और किचन कैबिनेट के नीचे लकड़ी के दरवाजे

तिरुपुर, तमिलनाडु में प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना की मुख्य विशेषताएंः

- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसीः तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड, चेन्नई
- उपयोगः कामकाजी महिला छात्रावास और विधवा गृह
- परियोजना के भूखण्ड का क्षेत्रफलः 2000 वर्गमीटर
- घरों की संख्या रू 40 (जी. 3)य अन्य प्रावधानों में रसोई और स्टोर के साथ एक भोजन कक्ष, शौचालय के साथ सामान्य कक्ष, सामान्य कार्यालय, शौचालय के साथ चिकित्सा कक्ष, केयर टेकर कक्ष, गतिविधि कक्ष और लॉन्ड्री शामिल हैं।
- प्रत्येक इकाई का कारपेट एरियाः 26.66 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल : 31.51 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल : 2044 वर्गमीटर
- प्रयुक्त तकनीकः प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम –पूर्व निर्मित कंक्रीट घटक
- प्रत्येक इकाई में कमरे के साथ जुड़े शौचालय के साथ पेंट्री और बालकनी सम्मिलित है।
- भूकंप रोधी सुविधा से युक्त

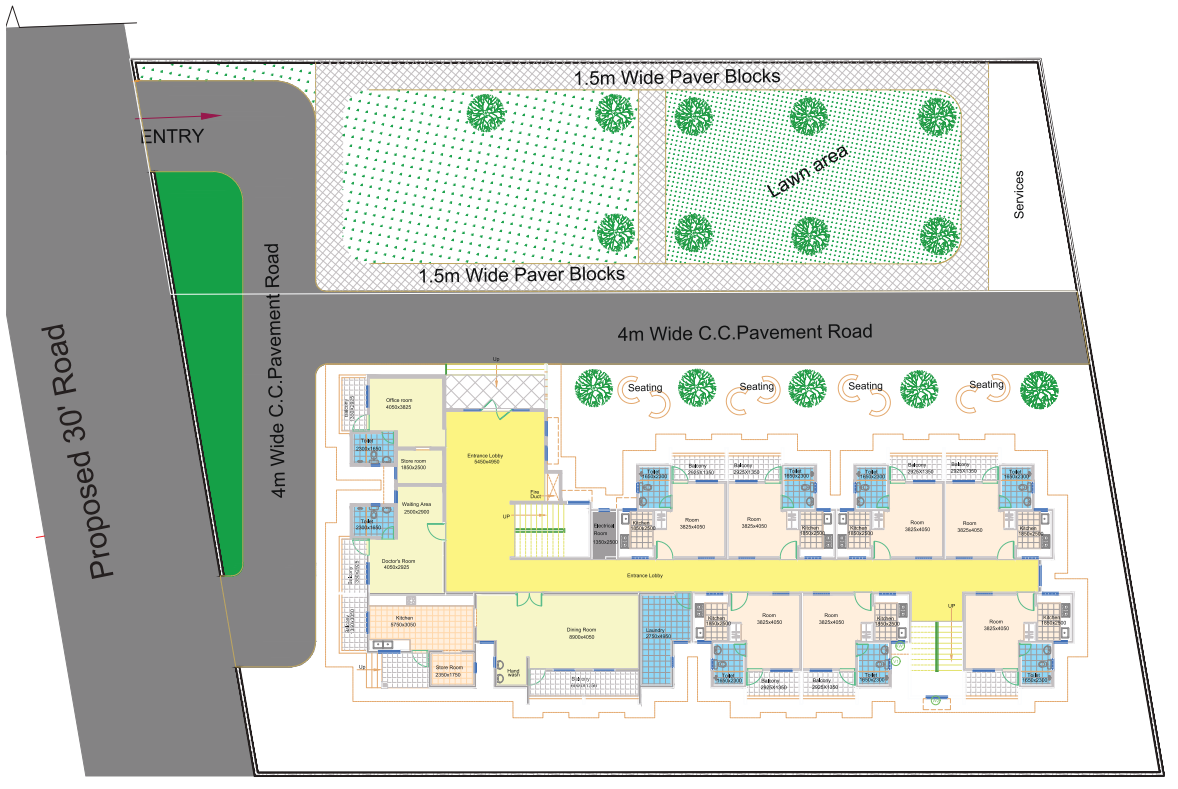

प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन सिस्टम का उपयोग करते हुए कामकाजी महिला छात्रावास विधवा घर के लिए तिरुपुर, तमिलनाडु में प्रदर्शन आवास परियोजना की लेआउट योजना

- अवसंरचना सुविधाएंः सीसी रोड, कंक्रीट पेवर्स के रास्ते, जल–कल कार्य, यूजीटी, सेप्टिक टैंक, बागवानी कार्य, चारदीवारी, नलकूप, जल निकासी और निपटान और सौर पैनलों का उपयोग करके बाहरी विद्युतीकरण, वर्षा जल संचयन, अग्निशमन प्रणाली, आदि।

उपयोग की जा रही तकनीकः

नींवः

- प्लिंथ बीम के साथ आइसोलेटेड आरसीसी कॉलम फुटिंग

दीवार

- प्रीकास्ट कंक्रीट वॉल पैनल

छत

- प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब

चौखट/शटरः

- प्रेस्ड स्टील दरवाजा चौखट में जुड़े फ्लश डोर शटर्स
- शौचालय में पीवीसी चौखट और शटर
- कमरों और शौचालयों में ग्लेज्ड पैनल और वायर मेश शटर के साथ यूपीवीसी खिड़की चौखट

फर्श

- कमरों, पैंट्री और बालकनी में विट्रिफाइड टाइल फ्लोरिंग
- पेंट्री/रसोई काउंटर पर मार्बल पत्थर
- शौचालय में एंटी–स्किड सिरेमिक टाइलें
- कॉमन एरिया और सीढ़ी में कोटा पत्थर का फर्श

दीवार की फिनिशिंग

- बाहरी दीवारों पर वेदर प्रूफ पेंट
- अंदरूनी दीवारों पर पुट्टी के ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर

अन्यः

- बिजली के फिक्स्चर जैसे पंखे, एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, एक्जौस्ट फेन, अलमारी में और किचन कैबिनेट के नीचे लकड़ी के दरवाजे

इसके अलावा, प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी द्वारा विचार के लिए भलवाल, जम्मू, जम्मू और कश्मीर और दीमापुर, नागालैंड में डीएचपी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी। सी.एस.एम.सी. के अनुमोदन के बाद भलवाल, जम्मू, जम्मू और कश्मीर और दीमापुर, नागालैंड में दो डीएचपी भी आरंभ किए गए हैं। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ इच्छुक राज्यों में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए साइटों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया गया। इन दोनों डीएचपी के लिए सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं। जम्मू में डीएचपी के लिए, उचित प्रक्रिया के उपरांत संविदा करने वाली एजेंसी को एलओआई जारी किया गया है और दीमापुर, नागालैंड में डीएचपी के लिए, प्राप्त बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।

इसके अलावा, शेष राज्यों से भी प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने और अपनी निर्माण परियोजनाओं में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्रदर्शन आवास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रचार के लिए तकनीकी समूह

एसएलएनए के प्रतिनिधि, स्थानीय एलआईटी / एनआईटी/ अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और बीएमटीपीसी के इंजीनियर सदस्य को मिलाकर एक तकनीकी समूह का गठन किया गया है जो प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) की प्रगति की निगरानी करेगा और राज्य सरकार के भीतर व्यापक स्वीकार्यता के लिए डीएचपी में उपयोग की जाने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रचार–प्रसार भी करेगा। वर्ष के दौरान, बीएमटीपीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित डीएचपी साइटों पर तकनीकी समूह की बैठकें आयोजित की गईं:

क) 10 मार्च, 2022 को अहमदाबाद, गुजरात में

ख) 4 मार्च, 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश में

चल रही प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) का सतत और हरित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण

प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखित संस्थानों को शामिल किया गया है:

1. पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ – पंचकुला के लिए
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला – अगरतला के लिए
3. सीईपीटी विश्वविद्यालय – अहमदाबाद के लिए
4. सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टिट्यूट, विदिशा – भोपाल के लिए

एजेंसियों ने डीएचपी पंचकुला और अगरतला में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उपरोक्त संस्थानों द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, डीएचपी में उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों की सिफारिश टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के रूप में की गई है, जिसमें कम ऊर्जा खपत, निर्माण की उच्च गति, पारंपरिक संरचना की तुलना में पकाई हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता है।

II. प्रधान मंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन

1. प्रधान मंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन में बीएमटीपीसी की भूमिका

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सबके लिए आवास'' मिशन को क्रियान्वित करने का कार्य कर रही है। भूकंप जोन IV और जोन V में पड़ने वाले विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में परियोजनाओं के लिए परिषद् को मूल्यांकन और निगरानी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है इसके अलावा परिषद् राज्य स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण का कार्य और टीपीआईएम समीक्षा भी करती है। वर्ष के दौरान, परिषद् ने मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलाप किये:

प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी वर्टिकल के तहत परियोजनाओं की डीपीआर डेस्क समीक्षा के साथ स्थलीय समीक्षा

i. आईजोल शहर, मिजोरम के लिए पीएमएवाई–एचएफए (यू) के लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत 2025 नई आवास इकाईयों के निर्माण से संबंधित डेस्क एवं स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट।

ii. नगर निगम कुल्लु, हिमाचल प्रदेश में 75 बीएलसी (नया निर्माण) एवं नगर निगम उना, हिमाचल प्रदेश 41 बीएलसी (वर्धित) की स्थलीय समीक्षा रिपोर्ट एवं डेस्क समीक्षा रिपोर्ट।

iii. जम्मू शहर, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में लाभार्थीनीत निर्माण वर्टिकल के तहत वर्धित आवास इकाईयों (100 आवास इकाईयों) का निर्माण।

iv. लाभार्थीनीत निर्माण व्यक्तिगत आवास निर्माण (1523 नये आवासं) के तहत भडेरवाह (केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कष्मीर) मास्टर योजना का नियोजन क्षेत्र

v. 12–14 दिसंबर, 2021 के दौरान 2350 आवास इकाईयों वाले करीमगंज विकास प्राधिकरण, करीमगंज, असम के अंतर्गत पीएमएवाई–एचएफए (यू) मिशन के तहत बीएलसी (नई) परियोजना चरण–VI की स्थलीय और डेस्क समीक्षा।

vi. 31 मार्च, 2021 को नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश में बीएलसी नये आवास का निर्माण – चरण–।। (1225 आवास इकाई) की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई।

vii. 9–13 फरवरी, 2022 के दौरान एमसी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 75 बीएलसी (नया निर्माण) की स्थलीय एवं डेस्क समीक्षा।

viii. 9–13 फरवरी, 2022 के दौरान नगर निगम ऊना, हिमाचल प्रदेश में 41 बीएलसी (वर्धित) की स्थलीय एवं डेस्क समीक्षा।

प्रौद्योगिकी उप–मिशन

''देश की भू–जलवायुवीय एवं जोखिम परिस्थितियों के अनुसार त्वरित और किफायती आवास निर्माण हेतु टिकाऊ प्रौद्योगिकीय साधन'' उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ ''सबके लिए आवास (शहरी) मिशन'' के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन की स्थापना की गई है। प्रौद्योगिकी उप–मिशन आवासों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु आधुनिक, नवोन्मेषी एवं हरित प्रौद्योगिकियां अपनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह मिशन, आईआईटी/एनआईटी/ एसपीए की साझेदारी से प्रौद्योगिकी विभिन्न राज्यों/शहरों में आपदा रोधी एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी मदद करता है। बीएमटीपीसी तकनीकी उप मिशन के सचिवालय की भांति काम कर रहा है।

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण में नई व उभरती प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण

राज्य सरकारों के द्वारा वैकल्पिक एवं उभरती प्रौद्योगिकियां अपनाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सीपीडब्लूडी, बीआईएस तथा राज्य शासनों के विभागों को अभिप्रेरित किया कि अधिसूचनाएं, परिपत्रों तथा एसओआरएस, विनिर्दिष्टों आदि को जारी करें जो कि राज्य सरकारों को आवास परियोजनाओं में इन नई

निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए अधिकृत करेगी।

इस दिशा में, सीपीडब्ल्यूडी ने ओएम संख्या 17/एसई (टीएएस)/बीएमटीपीसी/2022/105–एचआई दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से भूकंपीय क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता और मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक प्रौद्योगिकी में मंजिलों की संख्या पर प्रतिबंध के संबंध मे नई तकनीकों को संरचनात्मक प्रणालियों के अनुसार क्रमशः स्थायी संरचनाओं – कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम, अर्ध–स्थायी संरचनाओं – स्ट्रक्चरल सिस्टम और निर्माण सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए वर्गीकृत किया है।

वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत (जीएचटीसी–इंडिया) के तहत चुनी गई उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए लाइस हाउस परियोजनाएं

मंत्रालय द्वारा परिषद् को वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती – भारत (जीएचटीसी–इंडिया) के तकनीकी भागीदार के रूप में नामित किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय करते हुए लाइट हाउस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भी नामित किया गया है। जीएचटीसी–इंडिया के तहत भविष्य की संभावित टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ नवोन्मेषी और वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियां चुनी गई थी। छः व्यापक श्रेणियों में 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को चुना गया था। इन प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को छः व्यापक श्रेणियों में से प्रत्येक से अलग–अलग तकनीकों का उपयोग करते हुए, छः स्थानों, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में छः लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) का निष्पादन करते हुए प्रदर्शित किया जा रहा है।

बीएमटीपीसी किसी भी प्रश्न के समाधान और एलएचपी के सुचारू संचालन के लिए मंत्रालय के साथ गहन समन्वय करते हुए एजेंसियों के साथ नियमित रूप से निगरानी और वार्तालाप कर रहा है। ये एलएचपी समूचे भारत में नवोन्मेषी और हरित निर्माण प्रथाओं को स्थापित करने के लिए जीवंत प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करेंगे और इन प्रणालियों को भविष्य की निर्माण प्रणालियों के रूप में स्थापित करने में भी सहायता करेंगे।

भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला (आईएचटीएम) में सहभागिता

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दिनांक 5–7 अक्टूबर 2021 के दौरान नए शहरी भारत सम्मेलन सह एक्सपो के हिस्से के रूप में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला (आईएचटीएम) का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। इस मेले का मुख्य उद्देश्य घरेलू स्वदेशी और नवोन्मेषी निर्माण सामग्री, घटकों, उपकरणों और उपकरणों, निर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के लिए एक मंच प्रदान करना था जो प्रदर्शन, क्रॉस लर्निंग, बेहतर अंगीकरण, बाजार से जुड़ाव और अपेक्षित पैमाना हासिल करने में कम और मध्यम वृद्धि (जी. 3 मंजिल तक) के आवासों के निर्माण के लिए टिकाऊ और उपयुक्त हैं। इस मेले के दौरान, भारतीय प्रदर्शकों द्वारा 84 नवीन तकनीकों/प्रणालियों/उत्पादों/सामग्रियों/मशीनरी का प्रदर्शन किया गया। उचित विचार और आकलन के बाद, डीजी, सीपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एमओएचयूए द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने इन्हें चार व्यापक श्रेणियों में बांटा है, अर्थात् (i) कम ऊंचाई वाले आवासों (जी+3 तक) के निर्माण के लिए निर्माण प्रणाली/उत्पाद (ii) मुख्य रूप से औद्योगिक/कृषि अपशिष्टों के पुनर्चक्रण, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से उत्पाद/प्रौद्योगिकियां (iii) सामग्री और घटक (दरवाजे, खिड़कियां, निर्माण रसायन, इन्सुलेशन, नलसाजी, पलस्तर, मशीनरी) (iv) जीएचटीसी–इंडिया के तहत पहले से ही चुनी गई और कम ऊंचाई वाले आवास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां। परिषद् ने टीईसी के हिस्से के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान की और प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन के लिए सत्रों का आयोजन किया। मेले के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परिषद् को भी जिम्मेदारी दी गई थी। परिषद् ने इस मेले के दौरान प्रस्तुत तकनीकों पर एक सार–संग्रह तैयार किया है। इसके अलावा, परिषद् ने आईएचटीएम के दौरान प्रदर्शित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के प्रदर्शन पर 60 वीडियो क्लिप भी बनाए।

किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय किफायती किराये वाले आवास परिसर (एआरएचसी) योजना लागू कर

रहा है। परिषद् इन परियोजनाओं के मूल्यांकन और निगरानी, निधि जारी करने, समर्पित वेबसाइट के विकास और रखरखाव, अभिलेखों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव, दिशानिर्देशों की छपाई और अन्य आईईसी सामग्री आदि के संबंध में एआरएचसी के प्रभावी और कुशल संचालन में शामिल रही है। अब तक, परिषद् ने एआरएचसी के निम्नलिखित प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है:

दिनांक 16.08.2021 को आयोजित सीएसएमसी की 55वीं बैठक में स्वीकृत और बीएमटीपीसी द्वारा मूल्यांकित एआरएचसी प्रस्तावः

1. मैसर्स एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीपेरंबुदूर, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसममें 18112 के कुल छात्रावास डार्मिटरी बेड शामिल हैं।

2. मैसर्स एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 3969 बेड (1 डबल बेडरूम और 3968 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

3. मैसर्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ('टीईपीएल'), कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें 11500 (1500 सिंगल बेडरूम, 500 डबल बेडरूम एवं और 9500 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

4. मैसर्स स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 18720 डॉर्मिटरी बेड शामिल है।

5. मैसर्स चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 1040 बेड (200 सिंगल बेडरूम और 840 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

6. मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल–2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 2,222 (382 सिंगल बेडरूम, 80 डबल बेडरूम और 1760 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

7. मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कामरूप टाउन, गुवाहाटी द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल–2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 2,222 (382 सिंगल बेडरूम, 80 डबल बेडरूम और 1760 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

8. मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल–2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 1,112 (192 सिंगल बेडरूम, 40 डबल बेडरूम और 880 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

9. मैसर्स मित्सुमी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोसंबा–सूरत, गुजरात द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 453 बेड (129 सिंगल बेडरूम, 60 डबल बेडरूम और 264 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

दिनांक 23.11.2021 को आयोजित सीएसएमसी की 56वीं बैठक में विचार किये गये और बीएमटीपीसी द्वारा मूल्यांकन एआरएचसी प्रस्तावः

1. मैसर्स सिवनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 14,490 डॉरमेटरी बेड शामिल हैं।

2. मैसर्स एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, पेरुमबुडुर, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत ''मॉडल –2: एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव'' के तहत प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कुल 5045 बेड (5 डबल बेडरूम और 5040 डॉर्मिटरी बेड) शामिल हैं।

डेटा संसाधन सह निगरानी केन्द्र (डीआरएमसी)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कार्यों की निगरानी एवं डेटा विश्लेषण, संकलन तथा प्रसारण व इलेक्ट्रोनिक रूप में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने एवं अनुकूल तरीके में स्थल का दौरा/भौतिक सत्यापन करने के लिए बीएमटीपीसी के माध्यम से एक डेटा संसाधन सह निगरानी केंद्र (डीएमआरसी) स्थापित किया है एवं दैनिक आधार पर डेटा संकलन, विश्लेषण, एवं विभिन्न आवास एवं अवसरंचना रिपोर्ट तैयार करने, निर्माण की प्रगति इत्यादि को सुगम बनाने के उद्देश्य से निर्माण भवन में मिशन निदेशालय के तहत निगरानी प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।

किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा–इंडिया)

जीएचटीसी–इंडिया के तहत, किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा–इंडिया) के माध्यम से चिन्हित संभावित भावी प्रौद्योगिकियों को ऊष्मायन और त्वरण की भी योजना बनाई गई है। देशीय नवाचारों को तैयार करने के लिए आईआईटी एवं आशा–इंडिया उत्प्रेरक के सहयोग से 7 जून, 2021 को बीएमटीपीसी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान, विभिन्न पहलुओं जैसे विजेताओं द्वारा प्राप्त अवसर, उनके उत्पाद/प्रौद्योगिकी की स्वीकृति के संबंध में सामने आने वाली समस्याएं, प्रौद्योगिकी में और उन्नयन, सभी संभावित समर्थनों के आश्वासन के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

ऊश्मायन श्रेणी के तहत चयनित संभावित भविष्य की तकनीकों के आधार पर, निम्नलिखित संसाधन संस्थानों से आशा–इंडिया दिशानिर्देशों के तहत परिकल्पित गतिविधियों और अपेक्षाओं के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया था और मंत्रालय के विचारार्थ टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया:

क्रम सं.	प्रौद्योगिकी/प्रणाली का नाम	इंक्युबेशन सपोर्ट संस्थान
1	भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए 3डी प्रिंटिंग तकनीक	आईआईटी, मद्रास
2	भवन के निर्माण के लिए 3डी वॉल्यूमेट्रिक प्री–कास्ट सिस्टम का विकास	आईआईटी, मद्रास
3	भवन निर्माण के लिए कंक्रीट 3डी प्रिंटिंग की सुविधा के लिए स्वार्म रोबोटिक सिस्टम और हाइब्रिड निर्माण पद्धति का विकास	आईआईटी, खड़गपुर
4	पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग करके प्रीफेबरीकेटेड प्रीफिनीष वॉल्यूमेट्रिक निर्माण	आईआईटी, रुड़की

टेक्नोग्राही – छह एलएचपी में लाइव प्रयोगशालाओं का कार्यान्वयन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी पणधारकों के लिए लाइट हाउस परियोजनाओं का दौरा करने, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना सीखने, अपनी स्थानीय जरूरतों और संदर्भों के अनुसार नई निर्माण तकनीकों के टेक्नोग्राहियों को ''मेक इन इंडिया'' के रूप में अपनाने के लिए स्वयं को पंजीकृत करने हेतु एक ऑनलाइन नामांकन अभियान आरंभ किया है। एलएचपी में नवीन तकनीकों के उपयोग के विभिन्न चरणों के साथ–साथ स्थलेतर कार्यशाला/वेबिनार, वेबकास्टिंग, तकनीकी जानकारी/मॉड्यूल आदि के माध्यम से टेक्नोग्राहियों को स्थलेतर गतिविधियों के माध्यम से नवीन निर्माण तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। जीआईजेड के साथ बीएमटीपीसी टेक्नोग्राहियों के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

पीएमएवाई (यू) और जीएचटीसी–इंडिया के तहत सॉफ्टवेयर और वेबसाइट विकास

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बीएमटीपीसी को निम्नलिखित के उन्नयन, नए मॉड्यूल के विकास, रखरखाव, अभिकल्पना और विकास कार्य सौंपा है

- पीएमएवाई (यू) की वेबसाइट और मॉड्यूल
- जीएचटीसी–इंडिया वेबसाइट, इसके विभिन्न मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन जैसे न्यू अर्बन इंडिया मॉड्यूल, लाइव लेबोरेटरी मॉड्यूल, एलएचपी मॉड्यूल, डीएचपी मॉड्यूल, स्थिति और प्रगति मॉड्यूल को दैनिक आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जा रहा है।

बीएमटीपीसी द्वारा 29 जुलाई, 2021 को राजकोट, गुजरात में आयोजित लाइट हाउस परियोजना में टेक्नोग्राहियों का संवेदीकरण

बीएमटीपीसी द्वारा 06 अगस्त, 2021 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित लाइट हाउस परियोजना में टेक्नोग्राहियों का संवेदीकरण

- किफायती किराये वाले आवास परिसर (एआरएचसी) वेबसाइट का विकास, नॉलेज पेक के साथ माड्यूल्स 1 एवं माड्यूल्स 2 की एम.आई.एस., एआरएचसी खुषियों का खजाना– लधु फिल्म प्रतियोगिता 2021 के अतंर्गत प्रशिक्षण माड्यूल्स
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और डीआरएमसी की आईईसी टीम को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सहायता।
- क्षमता निर्माण मॉड्यूल
- आईईसी मॉड्यूल
- लोक शिकायत निवारण प्रणाली
- आवास पर संवाद
- पीएमएवाई (शहरी) पुरस्कार 2022
- डाटा बैंक मॉड्यूल
- अंगीकार
- वेबसाइट के लिए सी.एम.एस
- डैशबोर्ड और रिपोर्ट
- क्लैप डैशबोर्ड
- उमंग, माईगोव, राष्ट्रीय पोर्टल का एकीकरण
- विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन्स जैसेः पीएमएवाई (यू) जीएचटीसी–इंडिया, अंगीकार, खुशियों का आशियाना, जियो–टैगिंग एवं निधि जारी करने के लिए अनुरोध

III. राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से बीएमटीपीसी में राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का सृजन किया है जो ऋणदाता एजेंसियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण एकत्रित कर रहा है। एनयूएचएफ के लिए अतिरिक्त बजटीय संस्थानों (ईबीआर) द्वारा जुटाई गई निधियां बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्राप्त हो रही है जिसको आगे केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित किया जा रहा है साथ ही नियंत्रक मंत्रालय के आदेशानुसार मिशन के सीएलएसएस वर्टिकल के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएज) को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है।

परिषद् राज्य सरकारों को पीएमएवाई (यू) के तहत मंत्रालय के निर्देशानुसार केंद्रीय हिस्से का भुगतान कर रही है। अब तक एनएसएसएफ और हुडको से ईबीआर के रूप में क्रमशः 33,000 करोड़ रुपये और 20,000 करोड़ रुपये (कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए हैं और इसे समय – समय पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्रों के अनुसार वितरित किया गया है। दिनांक 31.3.2022 तक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ब्याज भुगतान के सापेक्ष मे 11690.58 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था और इसे मंत्रालय के स्वीकृति पत्रों के अनुसार एनएसएसएफ और हड़को को संवितरित किया गया है। मंत्रालय ने एनएसएसएफ को मूल ऋण राशि की एकमुश्त चुकौती के लिए बीएमटीपीसी को 33,000 करोड़ रुपये जारी किए जिसे मूल ऋण राशि की एकमुश्त चुकौती के लिए एनएसएसएफ को अंतरित कर दिया गया है।

IV. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन

1. भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम

बीएमटीपीसी ने भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम विकसित किया जिसका शुभारंभ माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री के कर कमलों से हुआ। यह ई–पाठ्यक्रम योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली और भवन निर्माण एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी), नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया जा रहा है। भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम का पंजीकरण एसपीए की वेबसाइट www.spa.ac.in और ecourse.bmtpc.org. के माध्यम से किया जाता है। यह एक बुनियादी ई–लर्निंग कोर्स है जो प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरूकता और समझ प्रदान करता है, विभिन्न खतरों (भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, आदि) के संबंध में अत्यधिक संवेदनषील क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है और मौजूदा आवास स्टॉक के नुकसान के जोखिम के जिलेवार स्तर को विनिर्दिष्ट करता है। यह ई–पाठ्यक्रम वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी और क्षेत्रीय योजना, आवास एवं अवसंरचना योजना, निर्माण अभियांत्रिकी एवं प्रबंधधन और निर्माण एवं निर्माण सामग्रियों के शोध के क्षेत्र में प्रभावी और कुशल आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए एक उपकरण होगा।

दिनांक 31.03.2022 तक 1257 प्रतिभागियों ने इस ई–पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराया। प्रतिभागियों द्वारा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें ऑनलाइन प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं। बीएमटीपीसी इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के संबंध में अपने इंजीनियरों और वास्तुकारों को आवश्यक दिशा–निर्देश देने के लिए विभिन्न पणधारकों, शैक्षणिक संस्थानों और विभागों के साथ लगातार प्रयास कर रहा है।

2. भारत के अति संवेदनशीलता मानचित्र पर वेबिनार का आयोजन

भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र का तीसरा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 सितंबर, 2021 को भारत के संवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार का आयोजन

संस्करण पूरे देश के लिए मौजूदा खतरे के परिदृश्य का संकलन है और और भूकंप, आंधी और बाढ़ के संबंध में अतिसंवेदनषील क्षेत्रों की जिले–वार पहचान के लिए डिजीटलीकृत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश–वार खतरा मानचित्र प्रस्तुत करता है। इस संस्करण में आंधी–तूफान, चक्रवात एवं भू–स्खलन के लिए अतिरिक्त डिजिटलीकृत मानचित्र शामिल किये गये हैं। यह मानचित्र जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, दीवार निर्माण एवं छत निर्माण पर आधारित मकानों की जिले–वार संवेदनशीलता जोखिम तालिका भी प्रस्तुत करता है। यह मानचित्र न केवल लोगों के लिए उपयोगी साधन है बल्कि शहरी प्रबंधकों, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन से जुड़े राज्य एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है।

भारत का अतिसंवेदनशीलता मानचित्र तीसरा संस्करण विभिन्न पणधारकों की व्यापक पहुंच के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात http://mohua.gov.in एवं https://ghtc-india.gov.in/ पर लिंक के साथ बीएमटीपीसी की वेबसाइट http://www.bmtpc.org पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा बीएमटीपीसी ने उपयोगकर्ताओं की आसान पहुंच एवं विभिन्न मानचित्रों एवं खतरे से संबंधित जानाकरियों को डाउनलोड करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट https://vai.bmtpc.org भी बनाई है।

भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र एवं आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से परिषद् ने 20 सितंबर, 2021 को भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम पर वेबिनार का आयोजन किया। यह वेबिनार विशेष रूप से भारत के संवेदनशीलता मानचित्र और नवरीति पर ई–पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न वेबिनार के दौरान भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर अनेक सत्र आयोजित किए गए।

3. भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर डेटा साझा करना

परिषद् ने भूकंप, आंधी–तूफान/चक्रवात, बाढ़ आदि के संबंध में विभिन्न आधार मानचित्रों को डिजिटलीकृत करके आर्कजीआईएस प्लेटफॉर्म पर भारत का अतिसंवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया है। परिषद् ने भूस्खलन के अलावा डाटासेट से भूस्खलन की घटनाओं के नक्शे और आंधी–तूफान की घटना के नक्शे बनाए गए थे। इन नक्शों में अब संबंधित खतरों और उससे संबद्ध जानकारी के लिए कई परतें शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) एवं महाराश्ट्र सरकार ने बीएमटीपीसी से भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र के तीसरे संस्करण में दिये गये खतरे की परतों की जीआईएस आकार की फाइलों को साझा करने का अनुरोध किया है।

आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन से निपटने वाली प्रमुख सरकारी एजेंसी होने के कारण निम्नलिखित फाइलें साझा की गईं:

1. भूकंप के खतरे के नक्शे – नमूना फाइलें
2. तूफान/चक्रवात के खतरे के नक्शे – नमूना फाइलें
3. बाढ़ के खतरे के नक्शे – नमूना फाइलें
4. भूस्खलन घटना मानचित्र – डेटाबेस फाइल
5. आंधी–तूफान घटना मानचित्र – डेटाबेस फाइल

भारत में आपदा संभावित क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को साझा करने से इन संगठनों को प्राकृतिक आपदा मानचित्रण करने और आकलन करने में काफी सहायता मिली।

4. नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (एनयूएलपी) पर भारत के अतसंवेदनशीलता मानचित्र पर ई–पाठ्यक्रम का आयोजन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत में शहर के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सक्षम करने वाली प्रमुख क्षमता निर्माण पहल के रूप में नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (एनयूएलपी) का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा विकसित, एनयूएलपी का मुख्य उद्देश्य भारत के शहरी पदाधिकारियों, प्रशासकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, उद्यमियों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े व्यक्तियों को स्मार्ट, समावेशी, टिकाऊ और लचीला शहर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और

प्रमुख कौशल के साथ सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के लिए मूल संस्थान के रूप में, एनआईयूए ने डिजिटल अभिषासन केन्द्र (सीडीजी) की स्थापना की है, जिसके तहत एनएलयूपी कार्यक्रम का चरण ६, कार्यक्रम हेतु चुने गए 17 अग्रणी शहरों में आरंभ किया गया था। टिकाऊ और विस्तार चरण के तहत, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से इन 17 शहरों की सीखने की जरूरतों को संबोधित करते हुए समृद्ध गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम तैयार करने पर केन्द्रित था।

इस उद्देश्य के लिए, एनयूएलपी टीम ने बीएमटीपीसी से अनुरोध किया कि वह भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र और नवरीति पर ई–पाठ्यक्रम साझा करें। उन्हें प्रासंगिक पाठ्यक्रम/सामग्रियों के रूप में प्राप्त करने के उपरांत, इन ई–पाठ्यक्रमों को एनयूएलपी प्लेटफॉर्म पर भी डाला गया है।

V. निर्माण क्षेत्र में सूचना एवं आंकड़ा आधार (डाटा बेस) का सुदृढ़ीकरण

1. निर्माण सारिका" – बीएमटीपीसी सूचना दर्शिका (न्यूजलेटर) के विशेषांक का प्रकाशन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विगत वर्शों की भांति विश्व पर्यावास 2021 दिवस हर्शोल्लास से मनाया। इस अवसर पर बीएमटीपीसी ने यून–हैबिटाट द्वारा चुने गये ''कार्बन मुक्त विश्व के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी' विषय पर अपने सूचना दर्शिका (न्यूजलैटर) ''निर्माण सारिका'' का विशेषांक प्रकाशित किया। इस विशेषांक में विश्व पर्यावास दिवस के विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके साथ ही साथ परिषद् के क्रियाकलापों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। विश्व पर्यावास दिवस, 2021 के समारोह को मनाने के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित समारोह के दौरान तत्कालीन सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यून–हैबिटाट एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अन्य गणमाण्य व्यक्तियों की गरिमामई उपस्थिति में माननीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, श्री हरदीप एस. पुरी ने ''निर्माण सारिका" के इस अंक का विमोचन किया।

2. उभरती निर्माण प्रणाली पर लघु पुस्तिका का प्रकाशन – चतुर्थ संस्करण

बीएमटीपीसी निरंतर वैकल्पिक लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है। बीएमटीपीसी ने भारतीय भू–जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उभरती और वैकल्पिक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का अध्ययन/चयन करने की पहल की और देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं के तहत आवास परियोजनाओं में राज्य सरकारों को इन प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करने की वकालत की।

नई उभरती प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से बीएमटीपीसी ने आम आदमी सहित पेशेवरों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका का तीसरा संस्करण प्रकाशित किया। इस संशोधित लघु पुस्तिका में 39 उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में सामान्य जानकारी सचित्र रूप में प्रस्तुत की गई है।

श्री हरदीप एस. पुरी, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार 5 अक्तूबर, 2021 को नई दिल्ली में विश्व आवास दिवस 2021 अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के में न्यूजलेटर ''निर्माण सारिका'' के विशेषांक का विमोचन करते हुए

श्री हरदीप एस. पुरी, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार 5 अक्तूबर, 2021 को नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस 2021 के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका के चौथे संस्करण का विमोचन करते हुए

5 अक्तूबर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावास दिवस समारोह के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी द्वारा उभरते निर्माण प्रणालियों पर इस लघु पुस्तिका का विमोचन किया गया।

3. निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सार–संग्रह का प्रकाशन

बीएमटीपीसी ने सीएसआईआर–सीबीआरआई के साथ संयुक्त रूप से निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सार–संग्रह तैयार किया है। सीएसआईआर–सीबीआरआई ने विगत 7 से अधिक दशकों से भवन निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान संस्थान होने के नाते ऐसी अनेक निर्माण सामग्री, घटकों और प्रौद्योगिकियों का विकास किया है एवं बीएमटीपीसी अपनी स्थापना से ही जमीनी स्तर के अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्य कनरने में अपनी भूमिका निभा रहा है। निर्माण प्रौद्योगिकियों से संबंधित इस सार संग्रह का प्रकाशन करने में दोनों संगठनों ने मिलकर काम किया। इस सार संग्रह में निम्नलिखित व्यापक घटक सहित 66 मौजूदा प्रौद्योगिकियां भी सम्मिलित हैं:

1. फर्श/छत निर्माण प्रौद्योगिकियां
2. छत निर्माण प्रौद्योगिकियां
3. दीवार निर्माण प्रौद्योगिकियां
4. नींव निर्माण प्रौद्योगिकियां
5. प्रणाली स्तरीय प्रौद्योगिकियां
6. सेवाएं
7. सामग्री

प्रत्येक प्रणाली को तकनीकी विनिर्देयषनों, साधनों और उपकरणों, मुख्य विशेषताओं, लागत, स्थिरता और आर्थिक पहलुओं, भौतिक आवश्यकताओं, सीमाओं, बाजार से जुड़ाव, संरचनात्मक रेखाचित्रों/विवरण और प्रासंगिक मानकों और संदर्भों के साथ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही, प्रौद्योगिकी की क्षेत्रवार भू–जलवायु उपयुक्तता भी इसमें निर्दिष्ट की गई है। ये निर्माण प्रौद्योगिकियां समयानुसार जांची गई और प्रमाणित हैं और प्रस्तुत डेटा सीएसआईआर–सीबीआरआई के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और वर्षों में उनके जमीनी स्तर के अनुप्रयोगों को दर्शाता है। यह दस्तावेज

उपयोग के लिए प्रस्तुत है और इसका उपयोग कम ऊँचाई से लेकर मध्यम ऊँचाई वाली संरचनाओं के लाभार्थीनीत निर्माण के क्षेत्र में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। यह सार संग्रह व्यक्तिगत घरों के निर्माण के लिए उपयोगी संसाधन के रूप में भी काम करेगा और राज्य सरकारों को उनकी चल रही आवास योजनाओं में इन प्रणालियों को पेश करने में मददगार हो सकता है।

ये सार संग्रह विभिन्न मौजूदा वैकल्पिक सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों का तकनीकी डेटाबैंक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मंच है, जो समयानुसार जांची गई और प्रमाणित हैं और आसानी से जमीनी स्तर पर उपयोग में लाए जा सकते हैं। आवास में प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने का विशेष रूप से स्थानीय सामग्रियों, स्थानीय कौशल और निर्माण तकनीकों के आधार पर कम से मध्यम ऊँचाई वाली संरचनाओं के लिए वहनीय, स्थिरता, तेजी से निर्माण की सुविधा देने वाली आपदा लचीलापन प्राप्त करने के लिए अद्यतन ज्ञान के साथ आत्मसात करने का यह उपयुक्त समय है। यह सार–संग्रह इस तरह के स्वदेशी नवाचारों को आम मंच पर लाने और क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का जायजा लेने का एक प्रयास है।

विश्व पर्यावास दिवस 2021 मनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में 5 अक्टूबर, 2021 को माननीय मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस सार संग्रह का विमोचन किया गया।

4. भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेले में दर्शाई गई स्वदेशी निर्माण सामग्री एवं निर्माण पर सार संग्रह का प्रकाशन

पीएमएवाई (यू) के तहत, 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत आवासों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से स्थानीय राजमिस्त्री/कारीगरों के माध्यम से एक या दो मंजिला आवास होते

श्री हरदीप एस. पुरी, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार 5 अक्तूबर, 2021 को नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस 2021 के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में निर्माण प्रौद्योगिकियों पर बीएमटीपीसी और सीएसआईआर–सीबीआरआई सार–संग्रह का विमोचन करते हुए

हैं। बहुमंजिला सामूहिक निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीकों की आवश्यकता इन अलग–अलग आवासों में अलग अलग होती हैं। इसलिए, आवासों के निर्माण में उनके उपयोग के लिए भारत में उपलब्ध नवीन उपयुक्त निर्माण तकनीकों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं की पहचान करना अनिवार्य था। तदनुसार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दिनांक 5 – 7 अक्तूबर, 2021 के दौरान नए शहरी भारत सम्मेलन सह एक्सपो के हिस्से के रूप में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला (आईएचटीएम) का आयोजन किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी और अभिनव निर्माण सामग्री, घटकों, साधनों और उपकरणों, निर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के लिए एक मंच प्रदान करना था जो एक प्रकार से प्रदर्शन, क्रॉस लर्निंग, बेहतर अंगीकरण, बाजार से जुड़ाव और अपेक्षित पैमाना हासिल करने के उद्देश्य से कम से मध्यम ऊँचाई (जी+3 मंजिल तक) के आवासों के निर्माण के लिए टिकाऊ और बेहद उपयुक्त हैं।

आईएचटीएम के दौरान, प्रदर्शकों द्वारा 84 नवीन तकनीकों/प्रणालियों/उत्पादों/सामग्री/मशीनरी का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी के उचित विचार विमर्श और मूल्यांकन के उपरांत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने सभी तकनीकों/प्रणालियों/उत्पादों/सामग्रियों को चार व्यापक श्रेणियों में बांटा है, अर्थात् (i) कम ऊंचाई वाले आवासों (जी+3 तक) के निर्माण के लिए निर्माण प्रणाली/उत्पाद (ii) मुख्य रूप से औद्योगिक/कृषि अपशिष्टों के पुनर्चक्रण, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से उत्पाद/प्रौद्योगिकियां (iii) सामग्री और घटक (दरवाजे, खिड़कियां, निर्माण रसायन, इन्सुलेशन, नलसाजी, पलस्तर, मशीनरी) (iv) जीएचटीसी–इंडिया के तहत पहले से ही चुनी गई और कम ऊंचाई वाले आवास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां।

सभी 84 प्रौद्योगिकियों को सार संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया जो विभिन्न विवरण प्रदान करता है जैसे प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त, विवरण, मुख्य विशेषताएं, आर्थिक पहलू, स्थिरता पहलू, उपयुक्तता और उपलब्धता, सीमाएं, बाजार से जुड़ाव, प्रमाणन/अनुमोदन, भारत में वास्तविक परियोजनाओं में इसका अनुप्रयोग और इतना ही नहीं प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के संपर्क विवरण भी प्रदान करता है। यह सार संग्रह नीति निर्माताओं, सार्वजनिक और निजी निर्माण एजेंसियों और अन्य संबंधित पणधारकों को उनकी भविष्य की आवास परियोजनाओं में टीआईएस अपनाने के लिए वैकल्पिक निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक उपयोगी संसाधन है।

5. मानकीकरण एवं उत्पाद मूल्यांकन

कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना (पीएसीएस)

बीएमटीपीसी द्वारा चलाई जा रही कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना (भारत का गजट सं. 49 दिनांक 4 दिसंबर, 1999 में गजट अधिसूचना सं. I-16011/5/99 H-II), किसी उत्पाद के विनिर्माताओं या संस्थापकों के लिए एक तृतीय पक्षीय स्वैच्छिक योजना है। इस योजना में मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया पश्चात निर्माण सामग्री, उत्पाद, संघटक, तत्व एवं प्रणाली आदि का मूल्यांकन सम्मिलित है।

चूंकि यह योजना उत्पादों/प्रणालियों के लिये चलाई जा रही है जहां कोई प्रासंगिक भारतीय मानकीकरण उपलब्ध नहीं है अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के लिये अपेक्षित विनिर्देश पर काम किया जाए। उन मदों के लिए जहां भारतीय संहिताएं उपलब्ध नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का भी संदर्भ लिया जा रहा है। कुछ मामलों में, विनिर्माताओं द्वारा संस्तुत विनिर्देशों को गुणवत्ता एवं कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर संशोधित किया जाना है।

विभिन्न राज्य, उनके आवास बोर्ड एवं अन्य विभाग भी अपने राज्यों में जन आवास के निर्माण हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों एवं सामग्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं एवं उनका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह पीएसीएस, जन आवास में उभरती प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

11 मार्च, 2022 को आयोजित कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र योजना (पीएसीएस) की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) की 18वीं बैठक

कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन (पीएसी) का अनुमोदन

कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन (पीएसी) के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) ने 11 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी 18वीं बैठक में निम्नलिखित नए उत्पादों/प्रणालियों के लिए पीएसीएस जारी करने का अनुमोदन किया है:

1. वॉल्यूमेट्रिक (3डी) कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी (वीसीपीटी)
2. प्री इंजीनियर्ड निर्माण संरचना के साथ पीयूएफ सैंडविच पैनल
3. एवरेस्ट रैपिकॉन पैनल/सॉलिड वॉल पैनल
4. डब्ल्यूपीसी डोर शटर और डब्ल्यूपीसी फ्रेम

पीएसीएस के नवीकरण का अनुमोदन

वर्ष के दौरान निम्नलिखित उत्पादों/प्रणालियों के लिए पीएसीएस का नवीकरण किया गया:

1. क्विकबिल्ड पैनल
2. संरचनागत स्टे इन प्लेस फार्मवर्क प्रणाली
3. बांस की लकड़ी का फर्श और बांस की ही लकड़ी की दीवार
4. स्ट्रेंडेड बुना हुआ बांस लकड़ी का फर्श, दीवार पैनल और दरवाजे/खिड़की की चौखट
5. बांस की लकड़ी के उत्पाद
6. प्रीकॉस्ट कंक्रीट निर्माण

कोविड–19 महामारी की स्थिति को देखते हुए भौतिक स्वरूप में निरीक्षण करने के स्थान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा है।

पीएसीएस के निगर्मन हेतु प्रक्रियाधीन आवेदन

पीएसीएस जारी करने से संबंधित आगे की प्रक्रिया हेतु निर्माताओं से निम्नलिखित नए उत्पादों/प्रणालियों के लिए विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं:

1. कृत्रिम जियोपॉलिमर उड़न राख के महीन रोडी का निर्माण
2. जियोपॉलिमर मोटे रोडी (जीपीसीए)
3. कॉनेक पूर्वनिर्मित दीवार पैनल

4. सिंगल कास्ट कंक्रीट निर्माण (एस3सी)

निर्माताओं से निम्नलिखित नए उत्पादों/प्रणालियों के लिए प्रारंभिक आवेदन (पीए) प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर आवेदनों को संसाधित करने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) जारी किए जा रहे हैं:

1. मोडुकास्ट प्रीकास्ट कंक्रीट बिल्डिंग
2. मॉड्यूलर निर्माण/पीईबी/एलजीएस निर्माण
3. हल्के गेज वाली स्टील फ्रेमयुक्त संरचनाएं
4. इकोप्रो सीमेंट शीटें
5. ठोस पैनल पीवीसी दरवाजे और चौखट
6. घास वाला फर्श, बांस की फर्श वाली टाइलें
7. फेरन पैनल

उपरोक्त आवेदन की प्रक्रिया फर्मों द्वारा प्रस्तुत डेटा, उनकी वेबसाइट में उपलब्ध सूचना, कार्यस्थल में विनिर्माण संयत्रों का निरीक्षण एवं कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन (पीएसी) से पूर्व उत्पाद/प्रणालियों के नमूने की जांच के आधार पर चल रही है। परिषद् अब तक विभिन्न नवोन्मेषी सामग्रियों, उत्पादों और प्रणालियों पर 77 पीएसीएस जारी कर चुकी है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अनुभागीय (सेक्शनल) समितियों को तकनीकी सहायता

पीएसीएस के अलावा परिषद्, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न विषयों – यथा सीमेंट एवं कंक्रीट, फ्लोरिंग, वाल फर्निशिंग तथा रूफिंग सामग्री; भूकंप इंजीनियरिंग, आवासीय प्रीफैब्रिकेटेड निर्माण; पहाड़ी क्षेत्र विकास तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता इत्यादि पर भारतीय मानकों का सूत्रीकरण करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विभिन्न अनुभागीय समितियों को तकनीकी सहायता (इनपुट) उपलब्ध करा रही है।

6. परिषद् की वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रचार–प्रसार

परिषद् की वेबसाइट (www.bmtpc.org) को विश्व स्तर पर पेशेवरों और अन्य लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। इसका उपयोग नवोन्मेषी भवन सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक संदर्भ संसाधन के तौर पर किया जा रहा है। परिषद् की वेबसाइट सबके लिये किफायती आवास के सामर्थ्यकारी वातावरण तैयार करने के इसके अधिदेश के अनुरूप किफायती भवन सामग्रियों और निर्माण पर एक कोश के तौर पर कार्य करती है। परिषद् की वेबसाइट (hindi.bmtpc.org) को राजभाषा निदेशालय के निदेशों के अनुसार हिंदी में भी विकसित किया गया है।

वेबसाइट पर उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सामान्य पूछताछ के तौर पर अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। परिषद् की वेबसाइट को किराया एवं क्रय अपेक्षाओं, निविदा सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा समय–समय पर यथा अपेक्षित अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त, नवीनतम तकनीकी सूचना से नियमित तौर पर अद्यनीकृत किया जाता है।

परिषद् नवीन निर्माण सामग्री और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए अन्य क्रियाकलाप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटरः @bmtpcdelhi; फेसबुकः @bmtpc.mhua; यूट्यूबः बीएमटीपीसी) का उपयोग भी कर रही है।

यूट्यूब चैनल ''बीएमटीपीसी'' दर्शकों के बीच मुख्य रूप से इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य पणधारकों के बीच दिन–ब–दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध विभिन्न वीडियो के 1,82,000 से अधिक बार देखा गया। अधिकांश लोगों द्वारा देखे जा रहे कुछ वीडियो इस प्रकार हैं (1) लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम (66,003 बार), (2) ईपीएस आधारित पैनल सिस्टम (59,287 बार), (3) मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (9,979 बार), (4) स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम (5,055 बार) आदि। बीएमटीपीसी यूट्यूब चैनल को अब तक 2412 सब्सक्राबर मिल चुके हैं।

VI. प्रौद्योगिकी की पहचान, स्थानांतरण एवं संवर्धनात्मक गतिविधियां

1. उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान एवं मूल्यांकन

परिषद् नियमित आधार पर भारतीय भू–जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल यथोचित प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन एवं संवर्द्धन पर विश्व भर में अपनाई गई उचित निर्माण प्रथाओं का अध्ययन कर रहा है। इस प्रक्रिया में, वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को चिन्हित किया गया जिनमें देश में जन आवास के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना दिखाई देती है:

वॉल्यूमेट्रिक (3डी) कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी (वीसीपीटी) (पीएसी सं 1059–एस/2022)

3डी प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक स्वचालित प्रक्रिया है जो परत–दर–परत आधार पर 3डी मॉडल (कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) मॉडल) से जटिल आकार की ज्यामिति प्रस्तुत करती है।

3डी कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी (3डीसीपी) एक 3डी सीएडी मॉडल के अनुसार परत दर परत एक संख्यात्मक रूप से नियंत्रित रोबोटिक प्रिंटर का उपयोग करके एक विशेष त्वरित–सेटिंग कंक्रीट मिश्रण को चुनिंदा रूप से रखकर कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण करती है। यह कार्य कम से कम मानवीय हस्तक्षेप/सहायता के साथ किया जा सकता है और दीवारों के निर्माण के लिए फॉर्मवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। इसे या तो स्थल पर ही निष्पादित किया जाता है (जैसे कास्ट इन–सीटू) या स्थलेतर एक केंद्रीकृत स्थापना (जैसे प्रीकास्ट) में। स्थलेतर 3डीसीपी में, इकाइयों या घटकों को फैक्ट्री में मुद्रित किया जाता है और फिर तैयार करने वाले स्थल पर पहुँचाया जाता है। स्थलीय 3डीसीपी में, इकाइयों का निर्माण स्थल पर ही किया जाता है।

इस प्रणाली की विशेष विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- फॉर्मवर्क के उपयोग को समाप्त करता है
- स्वचालित निर्माण उत्कृष्ट निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है
- उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ तेजी से निर्माण
- लागत अनुकूलन संभावनाएँ जो पारंपरिक फॉर्मवर्क और निष्पादन विधियों में रुकावटें पैदा करती हैं।
- अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सौंदर्यशास्त्र और सुविधा को बढ़ाने के लिए अभिनव डिजाइन संभावनाएं
- कुशल कामगारों का अभीष्ट उपयोग
- उच्च स्तरीय डिजीटल 3डीसीपी कार्य प्रवाह निष्पादन परिणामों की अच्छी पूर्वानुमेयता प्रदान करता है
- 3डी प्रिंटर लाइटवेट सिस्टम हैं जिन्हें आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और कार्य स्थल पर निश्पादित किया जा सकता है।

प्री इंजीनियर्ड निर्माण संरचना वाला पीयूएफ सैंडविच पैनल (पीएसी नंबर 1060–एस/2022)

प्री–इंजीनियर्ड बिल्डिंग संरचना वाला पीयूएफ सैंडविच पैनल दीवार और छत प्रणाली में पीयूएफ सैंडविच पैनल के साथ प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए संरचनागत स्टील फ्रेमयुक्त प्रणाली का मिश्रित स्वरूप है। पीयूएफ पैनलों में एक ठोस पीयूएफ कोर होता है जो रंग लेपित गैल्वनाइज्ड स्टील/गैलवैल्यूम स्टील शीट के बीच दोनों तरफ होता है, जो संयुक्त सीलेंट और फिक्सिंग सहायक के साथ पूरा होता है, जो स्थापित करना आसान और किफायती है।

सैंडविच पैनल उच्च तापीय दक्षता प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार की फिनिश के साथ आता है और वजन में हल्का होने के लिए आसानी से और जल्दी से स्थापित किया जा सकता है। प्री–इंजीनियर्ड बिल्डिंग की स्टील संरचनागत प्रणाली विविध लेआउट संभावनाओं/वास्तुकला के साथ लचीला डिजाइन विकल्प प्रदान करता है। यह बहुत तेजी से स्थापना

और टिकाऊ संरचना प्राप्त करने में भी सहायता करता है।

पूर्व इंजीनियर भवन संरचनाओं के साथ पीयूएफ सैंडविच पैनल के विशिष्ट अनुप्रयोगों में बाहरी/आंतरिक दीवार और औद्योगिक भवनों की छत, वाणिज्यिक भवन, बहुमंजिला भवन, प्रीफैब भवन, साइट कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम आदि शामिल हैं।

एवरेस्ट रैपिकॉन पैनल/सॉलिड वॉल पैनल (पीएसी संख्या 1061–एस/2022)

रैपिकॉन पैनल सैंडविच पैनल हैं, जो हल्के फोम कंक्रीट कोर के दोनों तरफ आईएस 14862 के अनुसार एवरेस्ट वॉल बोर्ड की दो गैर–एस्बेस्टस फाइबर प्रबलित सीमेंट फेसिंग शीट से बने होते हैं। कोर पोर्टलैंड सीमेंट, फ्लाई ऐश, सेल्यूलोज, चूना, जिप्सम, सिंथेटिक फाइबर, फिलर्स और पानी के मिश्रण से बनाया गया है। इन पैनलों में एक अनूठी टुकड़ा और नाली जोड़ने वाली प्रणाली होती है जो तेजी से निर्माण की सुविधा प्रदान करती है और जगह भी कम घेरती है। यह पैनल वजन में हल्के होते हैं और उच्च तापीय क्षमता वाले होते हैं।

पैनलों के अनुप्रयोगों में आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षिक और औद्योगिक भवनों, प्रीफैब संरचनाओं (आवास इकाइयों, स्कूलों, सेना बैरकों के गोदामों/गोदामों, साइट कार्यालयों, सुरक्षा कक्षों, आदि), क्लैडिंग, अग्नि पृथक्करण दीवारों आदि में विभाजन शामिल हैं।

2. नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

आवास और भवन निर्माण के लिए नई और उभरती हुई निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के बारे में निर्माण पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बीएमटीपीसी और योजना एवं वास्तुवकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली के सहयोग से उभरती आवास प्रौद्योगिकियों पर नवरीति (भारतीय आवास हेतु नई, सस्ती, विधिमान्य, अनुसंधान नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां) नामक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है। बीएमटीपीसी द्वारा योजना एवं वास्तुवकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली के सहयोग से "निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष 2019–20" के हिस्से के रूप में यह प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।

इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ छः लाइट हाउस परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के दौरान 1 जनवरी, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। नवरीतिः नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के रूप में पठन सामग्री का विमोचन भी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। परिषद् ने प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर एक लघु फिल्म तैयार करने में एचएफए निदेशालय की भी सहायता की, जिसे समारोह के दौरान प्रदर्शित भी किया गया था।

इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (क) आवास के लिए विश्व भर में उपयोग की जा रही नवीनतम सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों से पेशेवरों को अवगत कराना, (ख) संपत्तियों, विनिर्देशों, प्रदर्शन के संदर्भ में सामग्री और प्रौद्योगिकियों की अत्याधुनिकता के बारे में जागरूकता प्रदान करना, डिजाइन और निर्माण के तरीके ताकि पेशेवर इन्हें अपने दैनिक अभ्यास में सफलतापूर्वक नियोजित कर सकें और (ग) निष्पादित परियोजनाओं के लिए निवेश उपलब्ध कराना जहां ऐसी सामग्री और प्रौद्योगिकियां क्रियान्वित की गई हैं। नवरीति के पहले बैच का उद्घाटन 11.02.2021 को सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) द्वारा किया गया था।

इस पाठ्यक्रम को अब तक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित बैच संचालित किए गए:

क्र.सं.	बैच	तिथि
I	तृतीय बैच	30 अप्रैल से 7 मई, 2021 तक
2	चतुर्थ बैच	4 से 11 जून, 2021 तक
3	पंचम बैच	16 से 23 जुलाई, 2021 तक
4	शष्ठम बैच	27 अगस्त से 3 सितंबर, 2021 तक
5	सप्तम बैच	12 से 19 नवंबर, 2021 तक
6	अष्ठम बैच	14 से 21 जनवरी, 2022 तक
7	नवम बैच	मार्च से 1 अप्रैल, 2022 तक

नौ बैचों में, 858 प्रतिभागियों, मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरों और वास्तुकारों, संकाय और विभिन्न इंजीनियरिंग और वास्तुकला कॉलेजों के छात्रों ने सहभागिता की। यह अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में वैकल्पिक और नवीन सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ एसपीए, बीएमटीपीसी, आईआईटी, सीबीआरआई और उद्योग से संबंध रखते हैं।

30 अप्रैल से 7 मई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण तकनीकों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का तृतीय बैच

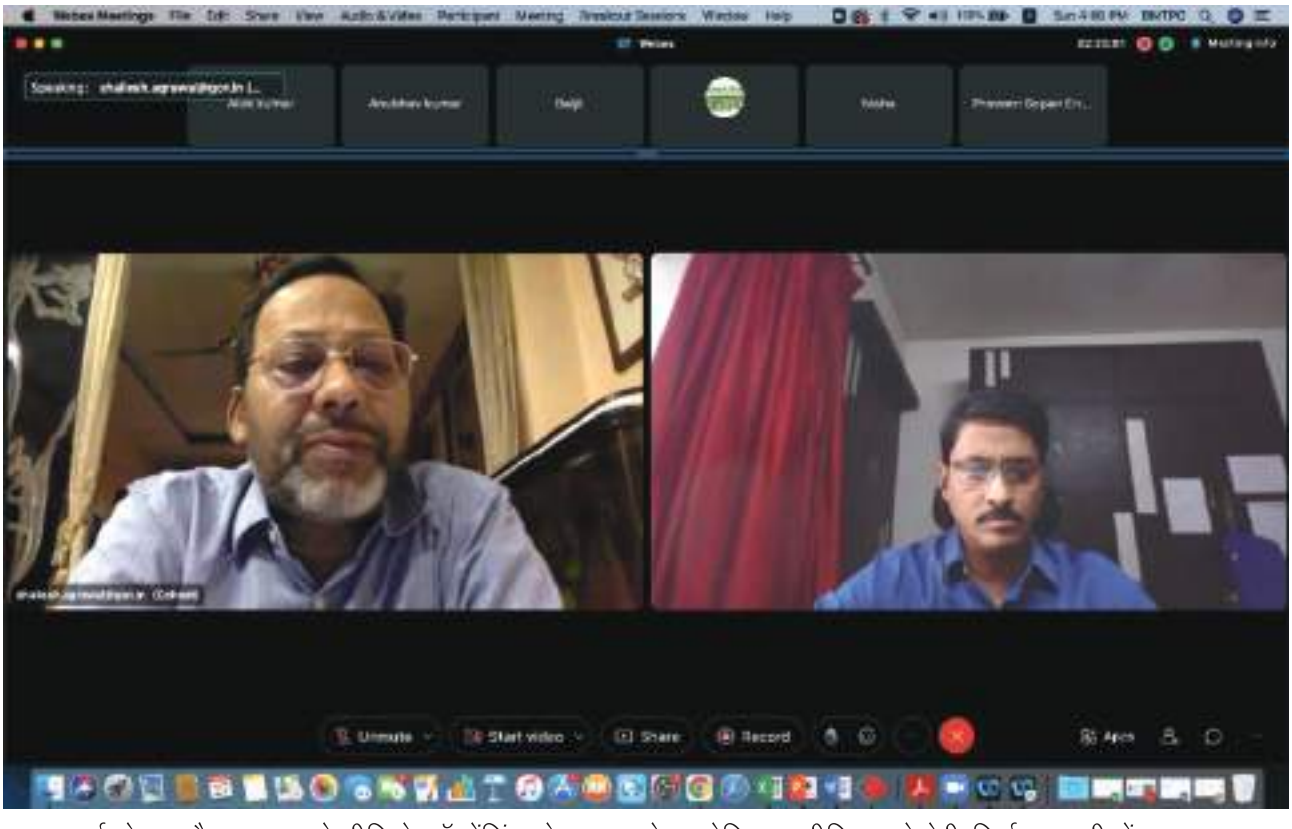

25 मार्च से 1 अप्रैल, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित नवरीति : नवोन्मेषी निर्माण तकनीकों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का नवम बैच

इस पाठ्यक्रम के अंत में, बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा होती है। पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, आवेदक को एसपीए, नई दिल्ली और बीएमटीपीसी द्वारा ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

3. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के ''मास्टर ऑफ प्लानिंग (आवास)'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली द्वारा परिषद् को उनके दूसरे सेमेस्टर के दौरान ''योजना–निष्णात (आवास)'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

स्नातकोत्तर छात्रों के दूसरे सेमेस्टर के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में निर्माण सामग्री क्रमागत और पारंपरिक, कम लागत वाली सामग्री, आवास विकास के लिए प्रौद्योगिकी का महत्व, पारंपरिक प्रौद्योगिकियां और आधुनिक प्रौद्योगिकियां, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, भारत और तीसरी दुनिया में आवास विकास के संदर्भ में आवास हेतु प्रौद्योगिकी, प्रणाली निर्माण की अवधारणा, विभिन्न खुली और बंद प्रणालियाँ, भवन की विभिन्न प्रणालियों का चुनाव, बुद्धिमतापूर्ण भवन की अवधारणा, भारत में निर्माण उद्योग के संगठन–आवास निर्माण उद्योग का महत्व, इसकी विशेषताएं और इसमें शामिल विभिन्न कारकों की भूमिका, आवास निर्माण उद्योग–निर्माण सामग्री निर्माताओं, विक्रेताओं और छोटे ठेकेदारों में छोटे पैमाने के उद्यम, आवास निर्माण में संसाधनों और जनशक्ति का महत्व, आवास निर्माण में प्रदान करने की आवश्यकता, नृमिति केंद्रों की अवधारणा, लागत कम करने वाली तकनीकें, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां, आवास परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका निर्माण–लागत समय और अन्य निहितार्थ, गृह निर्माण के लिए उभरते तकनीकी दृष्टिकोण, बुनियादी ढांचे और आवास क्षेत्र की योजना, ''हरित'' आवास नई और वैकल्पिक तकनीकों को बढ़ावा देने में बीएमटीपीसी और अन्य संगठनों की भूमिका शामिल हैं।

इसलिए, एसपीए, नई दिल्ली के अनुरोध के अनुसार, कार्यकारी निदेशक, बीएमटीपीसी ने अपने दूसरे सेमेस्टर के दौरान ''योजना–निश्णात (आवास)'' के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम आरंभ किया। यह व्याख्यान अप्रैल, 2021 सत्र एवं जनवरी–फरवरी, 2022 सत्र के दौरान दिये गये। इन दोनों सेमेस्टरों में निम्नलिखित व्याख्यान दिए गए:

व्याख्यान 1 से 3	टिकाऊ निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियां
व्याख्यान 4	कृषि, खनिज और औद्योगिक कचरे से निर्माण सामग्री और उत्पाद
व्याख्यान 5	निर्माण एवं तोड़–फोड़ से उत्पन्न (सी एंड डी) कचरा प्रबंधन
व्याख्यान 6	भवनों में ऊर्जा
व्याख्यान 7	हरित भवन – किफायती आवास गृह
व्याख्यान 8 से 11	आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण प्रथाएं
व्याख्यान 12–13	जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली
व्याख्यान 14	बुद्धिमत्तापूर्ण भवन

4. लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) में उभरती निर्माण प्रणालियों के उपयोग पर वेबिनार

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार बीएमटीपीसी और डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसम्मेनारबीट (जीआईजेड) के सहयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) में उभरती निर्माण प्रणालियों के उपयोग पर अनेक वेबिनार आयोजित कर रहा है। इन वेबिनारों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को परियोजना में उपयोग की जा रही नई निर्माण प्रणालियों के बारे में शिक्षित करना, भारत के भीतर क्षमता निर्माण करना और सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में सभी को जागरूक करना है। भारत सरकार नवीन निर्माण प्रणालियां पेश करेगी जो संसाधन–कुशल, जलवायु अनुकूल, आपदा–प्रतिरोधी, ऊर्जा–कुशल और तेज हैं। अब तक निम्नलिखित एलएचपी साइटों पर वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं:

क्र. सं.	परियोजना स्थल का नाम	आयोजन की तिथि
1	एलएचपी राजकोट, गुजरात	11 मार्च, 2022
2	एलएचपी इंदौर, मध्य प्रदेश	24 मार्च, 2022
3	एलएचपी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	31 मार्च, 2022

11 मार्च, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकोट, गुजरात में लाइट हाउस परियोजना (एलएचपी) में उभरती निर्माण प्रणालियों के उपयोग पर वेबिनार

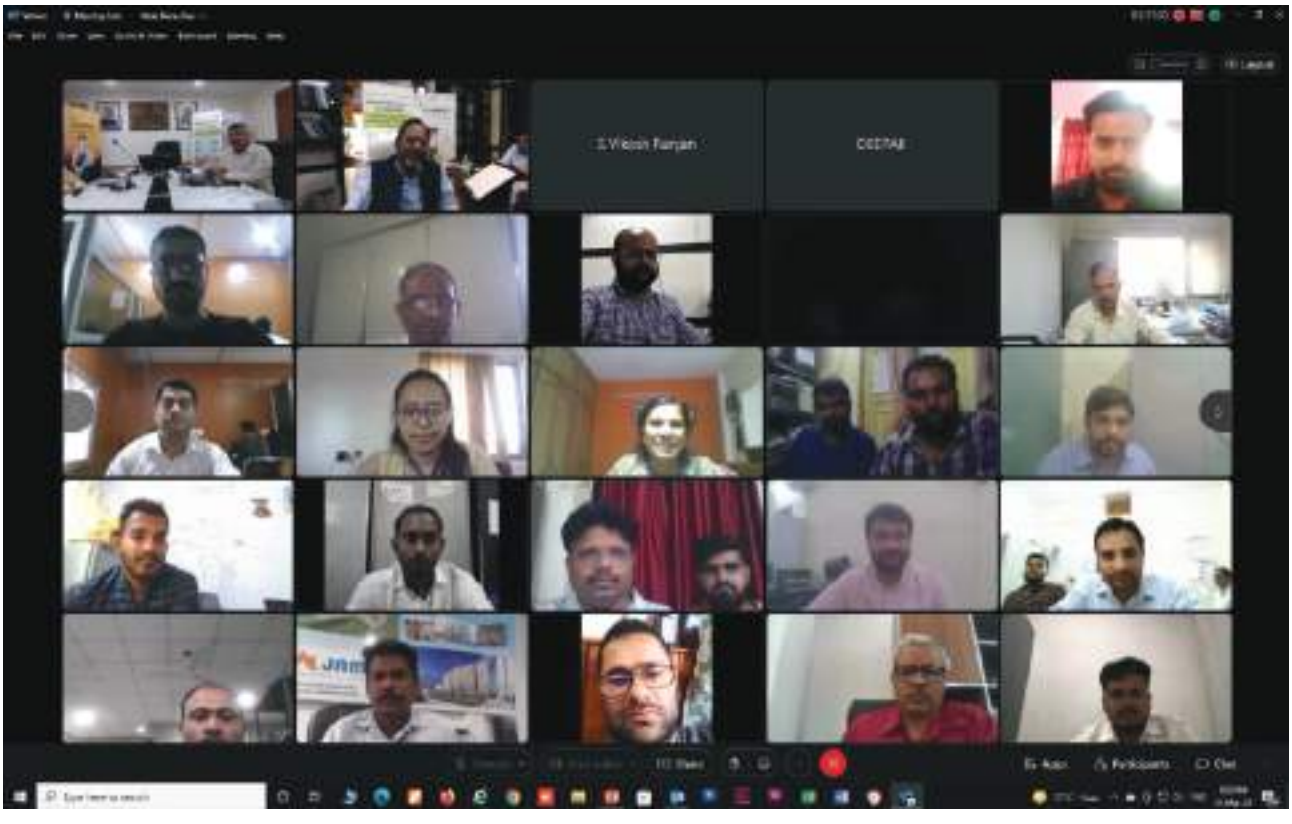

31 मार्च, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लाइट हाउस परियोजना (एलएचपी) में उभरती निर्माण प्रणालियों के उपयोग पर वेबिनार

प्रतिभागियों में न केवल वे टेक्नोग्राही शामिल हैं, जो एमओएचयूए के एचएफए निदेशालय द्वारा आरंभ किए गए ऑनलाइन नामांकन अभियान के माध्यम से पंजीकृत हैं, अपितु एसएलएनए, एसएलटीसी/सीएलटीसी के अधिकारियों के अलावा इंजीनियरों, वस्तुकारों, योजनाकारों, पेशेवरों, संकाय सदस्यों, विकासकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और राज्यों के इंजीनियरिंग और वास्तुकला कॉलेजों के छात्र भी शामिल हैं। इस वेबिनार के दौरान, प्रतिभागियों को परियोजना में उपयोग की जा रही निर्माण तकनीकों पर व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से एलएचपी स्थलों वर्चुअल स्वरूप में भी दिखाया गया।

5. रचना (राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से लचीली, किफायती एवं आरामदायक आवास)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जीआईजेड और बीएमटीपीसी के सहयोग से किफायती आवास के लिए अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों और थर्मल कम्फर्ट पर रचना (राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से लचीला, किफायती और आरामदायक आवास) पर 75 प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करेगा। ये प्रशिक्षण मुख्य रूप से थर्मल कम्फर्ट, किफायती आवास क्षेत्र में इसकी आवश्यकता और इसे प्राप्त करने के तरीकों पर पणधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने पर केन्द्रित हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम थर्मल कंर्फट, भौतिक प्रभावों और भौतिक विज्ञान के निर्माण के साथ इसके संबंधों पर गहन ज्ञान प्रदान करेंगे। इसके अलावा, यह प्रतिभागियों को किफायती आवास में थर्मल कंर्फट से संबंधित डिजाइन रणनीतियों, निर्माण तकनीकों, कम लागत वाले समाधान, नीति दस्तावेजों, बिल्डिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और अन्य पहलुओं से भी परिचित कराएगा।

प्रशिक्षण का परिणाम किफायती आवास क्षेत्र में पणधारकों को थर्मल कंर्फट की आवश्यकता को समझने और आगामी परियोजनाओं में लागत रहित या कम लागत वाली रणनीतियों को शामिल करने का आग्रह करना होगा। भारत के किफायती आवास क्षेत्र में थर्मल कंर्फट के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को उन्नत ज्ञान और कौशल से लैस किया जाएगा। श्रृंखला का पहला कार्यक्रम 7 अप्रैल, 2022 को रांची में आयोजित किया जाएगा।

6. विश्व पर्यावास दिवस 2021 समारोह

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 5 अक्टूबर, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व पर्यावास दिवस 2021 मनाया। परिषद् ने विश्व पर्यावास दिवस 2021 समारोह में सहभागिता की और इस अवसर पर परिषद् ने तीन पुस्तकें यानि (i) विश्व पर्यावास दिवस 2021 के विषय पर समाचार पत्र ''निर्माण सारिका'' का विशेषांक ''यूएन–हैबिटेट द्वारा चुने गए कार्बन मुक्त विश्व के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी' (ii) उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका का चतुर्थ संस्करण एवं (iii) निर्माण प्रौद्योगिकियों पर बीएमटीपीसी और सीएसआईआर–सीबीआरआई सार–संग्रह प्रकाशित की। श्री हरदीप एस. पुरी, माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 5 अक्तूबर, 2021 को इन पुस्तकों का विमोचन किया गया।

VII. संगठन

परिषद् के संगठनात्मक ढांचे को अगले पृष्ठ में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 को बीएमटीपीसी के पास कुल 34 कर्मचारी थे जिनमें से 15 अधिकारी और 19 सहायक स्टाफ शामिल हैं। इसके अलावा, परियोजना और आवश्यकता के आधार पर संविदा पर तकनीशियन/पेशेवर/ सहायक जनशक्ति को काम पर रखा जाता हैं।

परिषद् ने पारदर्शिता, जवाबदेही लाने और कर्मचारियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निम्नलिखित एवं वित्तीय उपायों का अनुपालन किया है:

- एमओए, उपनियमों, परिषद् के नियमों व विनियामों का क्रियान्वयन।
- परिषद् के सूचारू और सामंजस्यपूर्ण कामकाज के लिए आंतरिक समिति:
  - निवेश समिति
  - विज्ञापन समिति
  - निर्माण समिति
  - मुद्रण समिति
  - जीईएम समिति
  - स्थानीय खरीद समिति
  - भंडारण खरीद समिति
  - परिवहन समिति
  - संविदात्मक भुगतान समिति
- लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए केंद्रीकृत जन शिकायत सुधार एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से जन शिकायतों की ऑनलाइन प्रबंधन की शुरूआत की गई है।
- संगठन के सूचारू कामकाज एवं स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के समाधान का पता लगाने के लिए एक अधिकारी को शिकायत निदेशक और एक अधिकारी को कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास हेतु एससी/एसटी प्रकोष्ठ का गठन
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु समिति।

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

संस्थागत संरचना

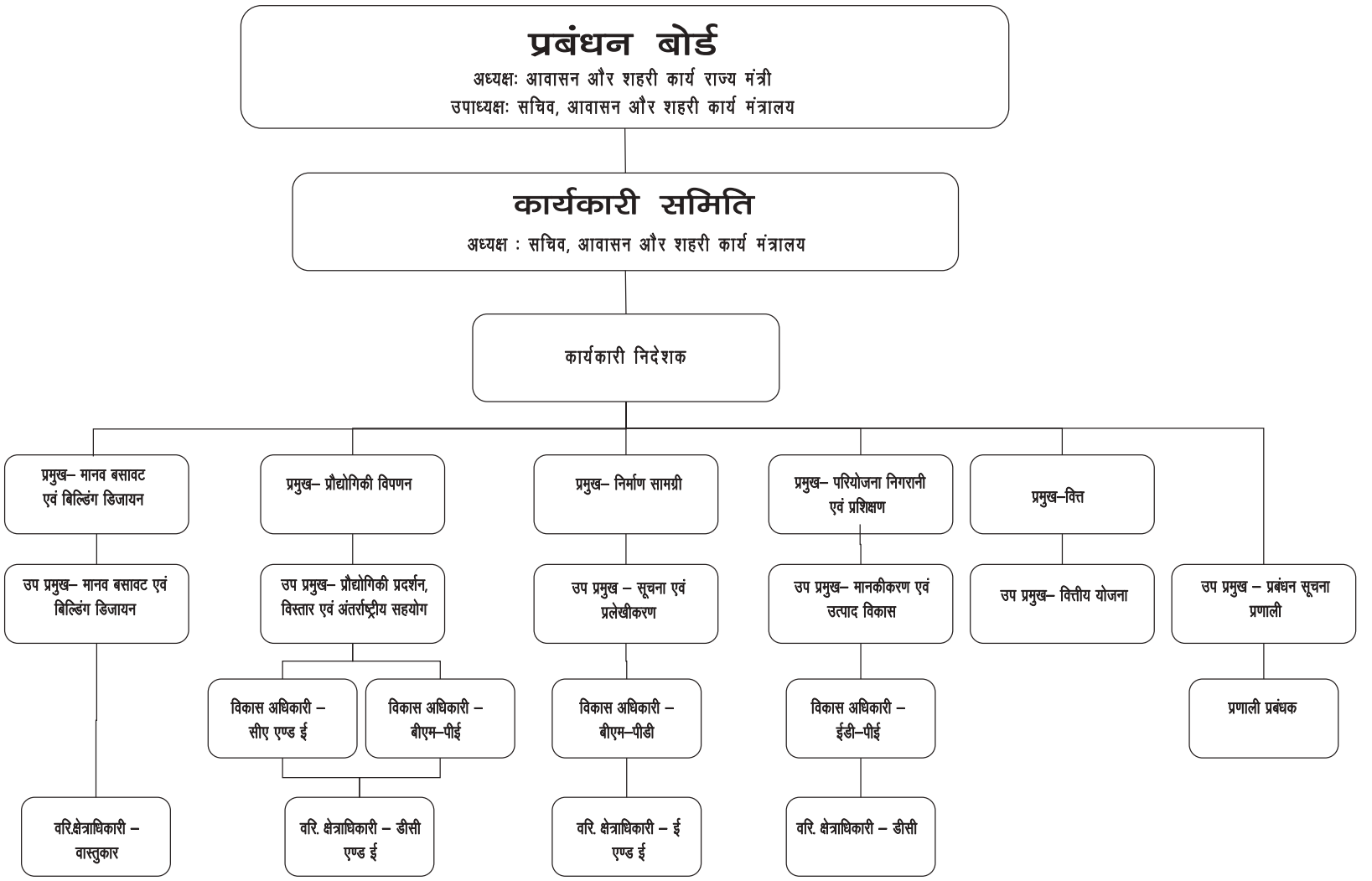

VIII. स्टाफ/कर्मचारियों की संख्या (31.3.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख
1.	**डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल** *कार्यकारी निदेशक*	17.01.08
2.	**एम. रमेश कुमार** *प्रमुख–मानव बसावट एवं बिल्डिंग डिजायन*	01.04.93
3.	**एस.के. गुप्ता** *उप प्रमुख–प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, विस्तार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग*	26.10.93
4.	**अरविंद कुमार** *उप प्रमुख–प्रबंधन सूचना तंत्र*	15.04.99
5.	**चंडी नाथ झा** *उप प्रमुख–मानकीकरण एवं उत्पाद विकास*	09.09.99
6.	**पंकज गुप्ता** *उप प्रमुख–सूचना एवं प्रलेखन*	14.10.99
7.	**दलीप कुमार** *वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी–प्रदर्शन निर्माण एवं प्रदर्शनी*	04..03.91
8.	**आलोक भटनागर** *वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी– प्रदर्शनी एवं विस्तारण*	05.10.98
9.	**आकाश माथुर** *वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी–वास्तुकार*	01.01.02
10.	**अनीता कुमार** *वरिष्ठ प्रोग्रामर*	03.10.96
11.	**एम. रामा कृष्णा रेड्डी** *संपर्क अधिकारी*	29.10.03
12.	**पंकज गुप्ता** *कार्मिक अधिकारी*	01.03.94
13.	**प्रवीण सूरी** तंत्र विश्लेषक	01.09.94
14.	**एस.एस. राणा** *पुस्तकालय अधिकारी*	01.04.98
15.	**डी. प्रभाकर** *क्षेत्राधिकारी*	29.01.04

IX. लेखा

- परिषद् को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वेतन हेतु 5.50 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। अन्य स्रोत जैसे शुल्क, परामर्शी सेवा, प्रशिक्षण, जीएचटीसी, डीएचबी, एलएचपी, एनएचबी, डीआरएमसी, प्रकाशन, ब्याज इत्यादि से परिषद् को 314.00 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई–यू के लिए एनएसएसएफ, वित्त मंत्रालय से लिये गये ईबीआर ऋण के एकमुश्त चुकौती के सापेक्ष आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 33,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए एवं उसे एनएसएसएफ, भारत सरकार को वापस कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एनयूएचएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि पर 85.20 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में जमा किया था एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईबीआर ऋण पर ब्याज के भुगतान के रूप में 4458.69 करोड़ (लगभग) रुपये जमा किये गये थे। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संस्वीकृति आदेश के अनुसार 4458.69 करोड़ (लगभग) रुपये एनएसएसफ/हडको को ब्याज भुगतान के रूप में संवितरित कर दी गई है।
- प्राप्ति एवं भुगतान लेखा विवरणी के अनुसार इस वर्ष के दौरान परिषद् ने 377,21,27,05,056 रुपये की कुल राशि खर्च की है जिसका सारांश नीचे दिया गया है :–

मुख्य मदें	राशि (रुपए में)
• भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं का निर्माण, उभरती सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान/मूल्यांकन/आकलन/विकास/अनुप्रयोग सहित तकनीकी क्रियाकलापों पर व्यय	10,67,69,388
• विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं सहभागिता, सबके लिए आवास (सहायता देना, दस्तावेजीकरण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण) पर प्रसार के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाना, राज्य सरकारों के बीच ज्ञान स्थानांतरण	1,20,59,771
• डीआरएमसी, जीएचटीसी, एलएचपी एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों पर व्यय	2,43,08,90,111
• कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर पेरिफेरल आदि सहित वेतन, स्थापन एवं प्रशासन खर्चों पर व्यय	7,60,63,786
• ईबीआर ऋण/प्रतिभूति जमा रिफंड पर ब्याज का भुगतान	44,58,69,22,000
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई–यू) के लिए एनएसएसएफ, वित्त मंत्रालय से लिये गये ईबीआर ऋण की एकमुश्त चुकौती	33000,00,00,000
योग	377,21,27,05,056

लेखाओं की लेखा–परीक्षा मैसर्स एम. एस. सेखोन एंड कं., सनदी लेखाकार द्वारा की गई है। वर्ष 2021–22 का तुलन–पत्र तथा लेखा विवरण रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

एम.एस. सेखोन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
170, मधुवन,
दिल्ली–110092

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण
निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमनें सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत **निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्** (''सोसायटी'') की संलग्न वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2022 को तुलन–पत्र एवं समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा शामिल है तथा महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों का सारांश सहित उस समाप्त वर्ष की आय–व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे का विवरण व वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं लेखांकन हेतु हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार ये वित्तीय विवरण ऐसे तरीके में अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं जो आवश्यक थे एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं:

क. तुलन पत्र के मामले में, परिषद् (सोसायटी) के कार्य 31 मार्च, 2022 के यथानुकूल हैं।

ख. आय एवं व्यय लेखों के विवरण के मामले में वर्ष की समाप्ति पर, उस तिथि को अधिशेष यथावत है और

ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के मामले में वर्ष की समाप्ति पर, उस तिथि पर प्राप्तियां एवं भुगतान यथावत हैं।

अभिमत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरायित्व खंड मे वर्णित है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसरण में स्वतंत्र संस्था हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है एवं हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा के साक्ष्य जो हमने प्राप्त किये हैं हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन एवं अभिशासन के उन व्यक्तियों के दायित्व जिन्हें प्रभार दिया गया है

प्रबंधन उपरोक्त लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी एवं उचित प्रस्तुतिकरण तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है जो प्रबंधन वित्तीय विवरण तैयार करने में आवश्यक मानता है कि ये वित्तीय विवरण तात्विक मिथ्याकथन चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटिवष से मुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन संस्था को चालू संस्थान के तौर पर जारी रखने, विगोपन करने यथा लागू, चालू संस्थान से संबंधित विषय एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्थान का उपयोग करने में

संस्था योग्यता का आकलने करने लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन संस्था को परिसमाप्त अथवा प्रचालन बंद न करना चाहता हो अथवा वास्तविक विकल्प न होने के कारण ऐसा करना पड़ा हो।

अभिषासन के वे व्यक्ति जिन्हें प्रभार दिया गया है भी संस्था के वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के बारे में पूर्ण रूप से युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हो एवं लेखापरीक्षा रिर्पो जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। युक्तियुक्त आष्वासन उच्च स्तर आष्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेषा भौतिक गलत बयानी को पकड़े जब यह घटित हो। ये मिथ्या कथन धोखाधड़ी एवं त्रुटि से भी हो सकते हैं एवं इसे तब तात्विक माना जाता है जब यह अलग–अलग अथवा एक साथ की गई हो, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने की अपेक्षा हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के तौर पर हमने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया है एवं पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय को बनाये रखा। हमने निम्नलिखित भी कियाः

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी की पहचान करना व उसका आकलन करना चाहे वह धोखाधडी के कारण हो या त्रुटि के कारण तथा उन जोखिमों के प्रत्युत्तरकारी लेखापरीक्षा का निष्पादन करना एवं लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हो। ध ोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी न पकड़ पाने के जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से बड़े हैं चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, गबन, जनबूझ कर गलती करना, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेना जो परिस्थितियों में यथोचित हों लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ न हो।

प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों व संबंधित विगोपनों की औचित्यतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग एवं प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना चाहे उसमें घटना अथवा स्थितियों से संबंकधित भौतिक अनिष्चिता मौजूद हो जो चालू संस्था के तौर पर जारी रखने में संस्था की योग्यता पर महत्वपूर्ण संशय डाल सकते हों। यदि हमारा निष्कर्ष है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित विगापनों के प्रति लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसी विगोपन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत में संषोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि भावी घटनाएं व स्थितियां संस्था को चालू संस्था के तौर पर जारी रखने में बंद होने का कारण भी हो सकती हैं।
- हम अन्य विषयों में से उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें अभिषासन में प्रभार दिया गया है, आंतरिक लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण विसंगति जो हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित की हैं सहित लेखापरीक्षा का सुनियोजित कार्यक्षेत्र व समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास में आवश्यक थे।

ख) हमारे मतानुसार, सोसाइटी द्वारा उचित लेखा बहियां रखी गई हैं जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया सोसाइटी का तुलन पत्र, आय व व्यय का विवरण तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा इन लेखा बहियों में के अनुरूप हैं।

कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 003671एन

राजीव टंडन
साझीदार
सदस्यता सं. 087343
यूडीआईएनः 22087343एडब्ल्यूकेजेयूएल6483

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 29.09.2022

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

यथा 31 मार्च, 2022 को तुलन–पत्र

राशि (रुपये में)

	अनुसूची	2021–22	2020–21
मूल / पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
मूल / पूंजीगत निधि	1	10,00,000	10,00,000
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	1,914,53,728	18,54,96,689
दीर्घावधि देयता	3	2,00,00,00,00,000	5,30,00,00,00,000
अभिनिर्धारित निधि	4	2,71,70,59,760	2,32,20,70,943
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	6,84,12,01,470	6,52,22,28,971
योग		**2,09,75,07,14,958**	**5,39,03,07,96,603**
आस्तियां			
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर	6	2,17,48,902	2,38,96,140
गैर चालू आस्तियां	7	2,00,00,00,00,000	5,30,00,00,00,000
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि	8	9,72,89,66,056	9,00,69,00,463
योग		**2,09,75,07,14,958**	**5,39,03,07,96,603**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	17		

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671एन

ह0/–
राजीव टंडन
साझीदार
सदस्यता सं. 87343

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

ह0/–
पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी

ह0/–
शरद कुमार गुप्ता
प्रमुख–वित्त (प्रभारी)

ह0/–
डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.09.2022

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

राशि (रुपये में)

	अनुसूची	2021–22	2020–21
आय			
अनुदान/सब्सिडी	9	5,50,00,000	5,50,00,000
शुल्क/अभिदान	10	1,55,83,891	1,18,73,239
प्रकाशन एवं पीएसी शुल्क इत्यादि से आय	11	1,5,18,695	1,1,15,885
अर्जित आय	12	1,65,95,323	8,7,98,376
योग (क)		8,86,97,909	7,67,87,500
व्यय			
वेतन, स्थापन एवं प्रशासन पर व्यय	13	7,52,65,533	6,61,98,498
प्रसार/सेमिनार/कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सबके लिए आवास इत्यादि पर व्यय	14	26,21,969	24,70,177
प्रदर्शन आवास परियोजना सहित वैज्ञानिक एवं तकनीक (एस एंड टी) पर व्यय	15	19,07,877	12,84,786
मूल्याह्रास	6	29,45,491	29,42,862
योग (ख)		8,27,40,870	7,28,96,323
वर्ष में आधिशेष/(घाटा) (क–ख)		59,57,039	38,91,177
पूर्व अवधि की मदें		–	10,63,133
आधिक्य/(घाटा) की शेष राशि तुलन पत्र में ले जाई गई		59,57,039	28,28,044

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671एन

ह0/–
राजीव टंडन
साझीदार
सदस्यता सं. 87343

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

ह0/–
पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी

ह0/–
शरद कुमार गुप्ता
प्रमुख–वित्त (प्रभारी)

ह0/–
डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.09.2022

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

राशि (रुपये में)

		2021–22		2020–21	
प्राप्तियां					
1	प्रारंभिक शेष				
	बैंक में शेष				
	अनुसूचित बैंकों में:				
	– केनरा बैंक में जमा	21,96,30,069		13,29,36,634	
	– भारतीय स्टेट बैंक –एचपी खाते में जमा	2,16,48,10,068		14,45,90,000	
	– बचत खातों में जमा:				
	– केनरा बैंक	8,14,40,596		7,52,20,837	
	– भारतीय स्टेट बैंक	74,31,549		1,87,38,438	
	– भारतीय स्टेट बैंक (एनयूएचएफ)	21,51,02,942		9,65,18,683	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी अगरतला	10,07,416		13,99,98,064	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी चेन्नई	10,00,322		16,12,78,065	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी इंदौर	8,30,226		14,34,42,256	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी लखनऊ	10,07,413		10,08,063	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी राजकोट	10,06,316		22,87,98,065	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी रांची	10,07,416	2,69,42,74,333	14,11,18,065	1,28,36,47,170
2	केंद्र सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) से अनुदान सहायता		5,50,00,000		5,50,00,000
3	शुल्क/डीआरएमसी/जीएचटीसी/डीएचपी परियोजना/टीपीक्यूए/प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार से प्राप्तियां एवं अन्य प्राप्तियां		92,09,563		4,94,81,993
4	ऋण एवं अग्रिम राशि (निवल)				34,63,088
5	प्रतिभूति जमा इत्यादि		–		78,14,901
6	राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए ईबीआर		–		1,00,00,00,00,000
7	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को देय एनयूएचएफ एवं एलएचपी पर प्राप्त ब्याज		44,58,69,22,000		13,01,84,234
8	त्रपुरा/गुजरात/हरियाणा/गोवा/भोपाल/अयोध्या/गुवहाटी में प्रदर्शन आवास परियोजना हेतु मंत्रालय से प्राप्तियां		23,74,94,000		13,51,56,496
9	हल्के आवास परियोजना एवं डीआरएमसी परियोजना हेतु प्राप्तियां		2,70,15,28,644		1,41,79,73,046
10	ईबीआर ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु प्राप्तिया		3,30,00,00,00,000		41,47,84,19,000
11	प्रकाशन, पीएसी इत्यादि की बिक्री से प्राप्तियां		15,18,695		11,15,885
12	अर्जित ब्याज		3,94,43,193		99,10,236
13	प्राप्त प्रतिभूति		9,21,17,375		–
14	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रतिदेय जमा पर ब्याज		5,86,89,489		–
	योग		**3,80,47,61,97,292**		**1,44,57,21,66,049**
भुगतान					
1	अचल आस्तियों की खरीद	7,98,253		9,42,784	
2	वेतन, स्थापन एवं प्रशासन पर व्यय	7,52,65,533		6,70,14,214	
3	प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार,/डीआरएमसी/कार्यशाला इत्यादि पर व्यय	26,21,969		24,70,177	
4	प्रदर्शन आवास परियोजना सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी (एस एंड टी) गतिविधियों पर व्यय	19,07,877	8,05,93,632	12,84,786	7,17,11,961
5	प्रतिभूति जमा इत्यादि				1,86,28,840
6	एनयूएचएफ पर हडको एवं एनएसएसफ को प्रदत्त ब्याज		44,58,69,22,000		41,47,84,19,000
7	एनयूएचएफ हेतु एनएसएसफ से लिये गये ऋण की चुकौती		3,30,00,00,00,000		
8	ऋण एंव अग्रिम (निवल)		75,29,925		
9	अभिनिर्धारित निधियां				
	– राष्ट्रीय शहरी आवास निधि	–		99,99,99,78,960	
	– हल्के आवास परियोजनाएं	2,41,24,38,377		21,92,80,731	
	– राजकोट, गुजरात में प्रदर्शन आवास परियोजना	1,67,63,701		5,92,773	
	– वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती	64,08,120		1,37,21,045	

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

राशि (रुपये में)

		2021–22		2020–21	
	– गोवा में प्रदर्शन आवास परियोजना	–		5,42,210	
	– अगरतला में प्रदर्शन आवास परियोजना	4,28,98,635		2,33,55,767	
	– पंचकुला, हरियाणा में प्रदर्शन आवास परियोजना	1,78,37,142		3,66,48,991	
	– अयोध्या, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना	7,80,172		–	
	– भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना	1,69,40,839		–	
	– गुवहाटी, असम में प्रदर्शन आवास परियोजना	51,40,779		–	
	– डेटा संसाधन निगरानी प्रकोष्ठ	1,84,51,734	2,53,76,59,499	1,50,11,438	1,00,30,91,31,915
10	बैंक में अंतिम शेष				
	– केनरा बैंक में जमा	24,88,01,413		21,96,30,069	
	– भारतीय स्टेट बैंक –एचपी खाते में जमा	2,35,52,12,358		2,16,48,10,068	
	– बचत/चालू खातों में जमाः				
	– केनरा बैंक	1,53,87,764		8,14,40,596	
	– भारतीय स्टेट बैंक	1,24,66,960		74,31,549	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी अगरतला	10,05,868		10,07,416	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी चेन्नई	10,000		10,00,322	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी इंदौर	25,07,53,574		8,30,226	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी लखनऊ	10,08,796		10,07,413	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी राजकोट	10,00,758		10,06,316	
	– भारतीय स्टेट बैंक एलएचपी रांची	10,000		10,07,416	
	– भारतीय स्टेट बैंक (एनयूएचएफ)	22,36,22,943		21,51,02,942	
	– भारतीय स्टेट बैंक (एआरएचसी)	1,01,801		–	
	– भारतीय स्टेट बैंक (डीएचपी)	15,41,10,001	3,26,34,92,236	–	2,69,42,74,333
	योग		**3,80,47,61,97,292**		**1,44,57,21,66,049**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671एन

ह0/–
राजीव टंडन
साझीदार
सदस्यता सं. 87343

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.09.2022

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

ह0/–
पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी

ह0/–
शरद कुमार गुप्ता
प्रमुख–वित्त (प्रभारी)

ह0/–
डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (रुपये में)

अनुसूची–1–मूल / पूंजीगत निधि	2021-22	2020-21
वर्ष के आरंभ में शेष	1,000,000	1,000,000
योग	1,000,000	1,000,000

अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष		2020-21		2020-21
1. आरक्षित पूंजी				
प्रारंभिक शेष	91,958,008		91,015,224	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	798,253	92,756,261	942,784	91,958,008
2. व्यय की तुलना में आय का आधिक्य				
प्रारंभिक शेष	93,538,681		91,653,421	
जोड़ें : आय व व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष / घाटा	5,957,039		2,828,044	
	99,495,720		94,481,465	
घटाएं –आरक्षित पूंजी निधि में अंतरित राशि	798,253	98,697,467	942,784	93,538,681
योग		191,453,728		185,496,689

अनुसूची 3 – दीर्घावधि की देयता	2021-22	2020-21
राष्ट्रीय शहरी आवास निधि		
1. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राज्यों / केंद्र षास्ति प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के तौर पर संवितरण करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण	-	330,000,000,000
2. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राज्यों / केंद्र षास्ति प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के तौर पर संवितरण करने के लिए हड़को से ऋण	200,000,000,000	200,000,000,000
योग	200,000,000,000	530,000,000,000

अनुसूची 4 – अभिनिर्धारित निधियां		2021-22		2020-21
1 डाटा संसाधन सह निगरानी केन्द्र				
प्रारंभिक शेष	47,562			
वर्ष के दौरान प्राप्त	6,870,000		15,059,000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वसूलीयोग्य राशि	-			
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / व्यय	18,451,734	(11,534,172)	15,011,438	47,562
2 राष्ट्रीय शहरी आवास निधि				
प्रारंभिक शेष	21,040			
वर्ष के दौरान प्राप्त	-		100,000,000,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान संवितरण (अनुसूची 16)	-	21,040	99,999,978,960	21,040
3 टीपीक्यूए हेतु पाप्त				
प्रारंभिक शेष	9,966,906			
वर्ष के दौरान प्राप्त	-		9,966,906	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वसूलीयोग्य राशि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	5,177,506	4,789,400	-	9,966,906
4 भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना				
वर्ष के दौरान प्राप्त	33,569,000		33,569,000	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	1,936,869		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	16,940,839	14,691,292	-	33,569,000
5 अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास				
प्रारंभिक शेष	44,944,171		21,465,942	
वर्ष के दौरान प्राप्त			50,804,477	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	3,463,781		3,970,481	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	42,898,635	(1,418,245)	23,355,767	44,944,171
6 पंचकुला, हरियाणा में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	14,669,592		16,744,288	
वर्ष के दौरान प्राप्त	-		40,804,623	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय			6,230,328	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	17,837,142	(3,167,550)	36,648,991	14,669,592

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

7 चंबेल, गोवा में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	31,193,766		18,163,812	
वर्ष के दौरान प्राप्त	-		13,664,340	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	-		92,176	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	31,193,766	542,210	31,193,766
8 अहमदाबाद, गुजरात में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	24,775,184		6,178,068	
वर्ष के दौरान प्राप्त	-		19,290,660	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	341,757		100,771	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	16,763,701	7,669,726	592,773	24,775,184
9 अयोध्या, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	38,972,500		-	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय			-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	780,172	38,192,328	-	-
10 गुवहाटी–आसाम में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	54,215,000		-	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	631,921		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	5,140,779	48,442,300	-	-
11 जम्मू एवं कश्मीर में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	46,278,500		-	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	46,278,500	-	
12 तिरुपुर में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	35,242,500		-	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	35,242,500	-	
13 नागालैंड में प्रदर्शन आवास परियोजना				
प्रारंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	62,785,500		-	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	62,785,500	-	
14 वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती				
प्रारंभिक शेष	4,031,407		17,142,732	
वर्ष के दौरान प्राप्त	-		-	
घटाएं: प्रभाजित वेतन एवं प्रशासन व्यय	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6,408,120	(2,376,713)	13,111,325	4,031,407
15 एआरसीएचएस हेतु प्राप्त				
प्रारंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त	832,620,000		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	832,620,000	-	-
16 लाइट हाउस परियोजना–अगरतला, त्रिपुरा				
प्रारंभिक शेष	428,750,000		140,000,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	260,000,000		120,000,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य सरकार से)	-		185,000,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	122,112,500	566,637,500	16,250,000	428,750,000
17 लाइट हाउस परियोजना–चेन्नई, तमिलनाडु				
प्रारंभिक शेष	268,061,986		161,280,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	253,440,000		92,160,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य सरकार से)	280,758,644		142,518,646	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	846,679,464	(44,418,834)	127,896,660	268,061,986

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

अनुसूची 4 – अभिनिर्धारित निधियां		2021-22		2020-21
18 लाइट हाउस परियोजना–इंदौर, मध्य प्रदेश				
प्रारंभिक शेष	264,811,429		143,360,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	225,280,000		81,920,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य सरकार से)	100,000,000		90,960,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	438,872,780	151,218,649	51,428,571	264,811,429
19 लाइट हाउस परियोजना–लखनऊ, उत्तर प्रदेश				
प्रारंभिक शेष	510,510,000		145,600,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	228,800,000		83,200,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य सरकार से)	-		294,800,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	313,560,662	425,749,338	13,090,000	510,510,000
20 लाइट हाउस परियोजना–राजकोट, गुजरात				
प्रारंभिक शेष	464,958,900		228,800,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	251,680,000		91,520,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य सरकार से)	-		155,254,400	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	536,072,900	180,566,000	10,615,500	464,958,900
21 लाइट हाउस परियोजना–रांची झारखण्ड				
प्रारंभिक शेष	221,760,000		141,120,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (केन्द्र सरकार से)	221,760,000		80,640,000	
वर्ष के दौरान प्राप्त (राज्य सरकार से)	40,320,000		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	149,962,565	333,877,435	-	221,760,000
योग		2,717,059,760		2,322,070,943

अनुसूची 5 – चालू देयताएं एवं प्रावधान	2021-22	2020-21
चालू देयताएं		
– बकाया देयताएं	491,843	539,263
सांविधिक देय	11,278,425	-
– प्रतिभूति देय – अन्य	25,194,791	11,540,992
– प्रतिभूति देय (डीएचपी) परियोजनाएं	2,050,014	-
– प्रतिभूति देय (एलएचपी) परियोजनाएं	49,990,914	-
– एसबीआई (एलएचपी) में जमा ब्याज लेखा में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रतिदेय राशि	87,213,979	37,044,491
– राष्ट्रीय शहरी आवास निधि पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन एनएसएसफ को देय नहीं	3,873,600,000	3,754,356,164
– राष्ट्रीय शहरी आवास निधि पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन हडको को देय नहीं	2,552,587,958	2,503,666,159
– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रतिदेय राशि (एनयूएचएफ पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज)	223,601,903	215,081,902
– टीएनएससीबी/राजकोट नगर निगम को देय राशि	15,191,643	-
योग	6,841,201,470	6,522,228,971

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (रुपये में)

अनुसूची 6 – संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण								2021–22	2020–21
	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
	01.4.2021 की स्थिति के अनुसार लागत	परिवर्धन (180 दिन से पूर्व)	परिवर्धन (180 दिन के उपरांत)	कुल	01.04.2021 तक	चालू वर्ष	31.03.2022 तक	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
कार्यालय भवन भूमि सहित	**34,319,817**		-	**34,319,817**	**13,889,826**	**2,042,999**	**15,932,825**	**18,386,992**	**20,429,991**
फर्नीचर एवं फिक्चर	3,793,415			3,793,415	3,153,486	63,993	3,217,479	575,936	639,929
कार्यालय के उपकरण	20,518,745		22,480	20,541,225	18,924,624	240,804	19,165,428	1,375,797	1,594,121
कम्प्यूटर / पेरिफेरल	19,744,286	238,400	79,373	20,062,059	19,070,507	380,747	19,451,254	610,805	673,779
सॉफ्टवेयर	-	208,000	250,000	458,000	-	133,200	133,200	324,800	-
एयर कंडीशनर	1,035,166		-	1,035,166	885,355	22,472	907,827	127,339	149,811
पखें एवं कूलर	81,224		-	81,224	67,824	2,010	69,834	11,390	13,400
टीवी व वीसीआर	380,450		-	380,450	355,288	3,774	359,062	21,388	25,162
प्रदर्शन पट्ट, पैनल, डिस्प्ले मॉडल	12,084,905		-	12,084,905	11,714,958	55,492	11,770,450	314,455	369,947
	91,958,008	446,400	351,853	92,756,261	68,061,868	2,945,491	71,007,359	21,748,902	23,896,140
गत वर्ष (2020–21)	91,015,224	-	942,784	91,958,008	65,119,006	2,942,862	68,061,868	23,896,140	25,896,218

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन–पत्र की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (रुपये में)

अनुसूची 7 – गैर चालू आस्तियां	2021-22	2020-21
1. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी आवास निधि हेतु एनएसएसफ से लिए गये ऋण की चुकौती हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्य राशि	-	330,000,000,000
2. पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी आवास निधि हेतु हड़को से लिए गये ऋण की चुकौती हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्य राशि	200,000,000,000	200,000,000,000
योग	**200,000,000,000**	**530,000,000,000**

अनुसूची 8 – चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम राशि इत्यादि	2021-22		2020-21	
क. चालू आस्तियां:				
1. बैंक में शेष				
– केनरा बैंक में जमा	248,801,413		219,630,069	
– एसबीआई (एलएचपी) में स्वीप/जमा	2,355,212,358		2,164,810,068	
बचत खातों में:				
– केनरा बैंक	15,387,764		81,440,596	
– भारतीय स्टेट बैंक	12,466,960		7,431,549	
– भारतीय स्टेट बैंक (एनयूएचएफ)	223,622,943		215,102,942	
– भारतीय स्टेट बैंक (एलएचपी) अगरतला	1,005,868		1,007,416	
– भारतीय स्टेट बैंक (एआरएचसी)	101,801		-	
– भारतीय स्टेट बैंक (डीएचपी)	154,110,001		-	
– भारतीय स्टेट बैंक (एलएचपी) चेन्नई	10,000		1,000,322	
– भारतीय स्टेट बैंक (एलएचपी) इंदौर	250,753,574		830,226	
– भारतीय स्टेट बैंक (एलएचपी) लखनऊ	1,008,796		1,007,413	
– भारतीय स्टेट बैंक (एलएचपी) राजकोट	1,000,758		1,006,316	
– भारतीय स्टेट बैंक (एलएचपी) रांची	10,000	3,263,492,236	1,007,416	2,694,274,333
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां:				
1. कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि		263,365		477,382
2. एनयूएचएफ के तहत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्य राशि एवं पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता		6,426,187,958		6,258,022,323
3. नगद अथवा इसी रूप में प्राप्य अग्रिम एवं अन्य राशि अथवा कीमत जो प्राप्त की जानी है				
क. प्राप्त राशि एवं अन्य अग्रिम राशि	609,204		703,802	
ख. मंत्रालय से प्राप्य राशि (पीएमएवाई (यू) मिशन के तहत स्थलीय समीक्षा हेतु शुल्क)	8,644,631		-	
ग. अन्य से प्राप्य राशि	16,041,792		16,044,792	
घ. प्रतिभूति जमा (कार्य स्थल)	420,000		420,000	
इ. स्रोत पर कर कटौती एवं प्राप्य जीएसटी	6,673,453	32,389,080	7,476,544	24,645,138
4. केनरा बैंक में सावधि जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज		6,633,417		29,481,287
योग (क+ख)		**9,728,966,056**		**9,006,900,463**

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय व व्यय लेखा की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (रुपये में)

अनुसूची 9– अनुदान/सब्सिडी (अशोध्य अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)	2021-22	2020-21
1 केंद्र सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)	55,000,000	55,000,000
योग	55,000,000	55,000,000

अनुसूची 10– शुल्क/अभिदान	2021-22	2020-21
1 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार प्राप्तियां/प्रदर्शन आवास परियोजना/नवरीति शुल्क/वीएआई/परामर्शी शुल्क	1,178,563	1,479,483
2 पीएमएवाई (यू) मिशन के तहत स्थली समीक्षा हेतु शुल्क	8,031,000	-
3 प्रभाजित वेतन एवं प्रशसन व्यय (डीएचपी)	6,374,328	10,393,756
योग	15,583,891	11,873,239

अनुसूची 11– पीएसी शुल्क, प्रकाशन इत्यादि से आय	2021-22	2020-21
1 पुस्तकों की बिक्री, पीएसी से प्राप्तियां	1,518,695	1,115,885
योग	1,518,695	1,115,885

अनुसूची 12– अर्जित ब्याज	2021-22	2020-21
1 अनुसूचित बैंकों में सावधि जमाओं पर	16,200,253	7,855,486
2 अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	371,955	932,111
3 कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि पर	6,600	9,689
4 आयकर रिफंड पर	16,515	1,090
योग	16,595,323	8,798,376

अनुसूची 13– वेतन, स्थापन एवं प्रशासन पर व्यय	2021-22	2020-21
1 वेतन एवं भत्ते	56,565,254	53,462,858
2 छुट्टी नकदीकरण	1,696,885	-
3 उपदान	3,650,000	-
4 छुट्टी किराया रियायत	451,937	495,832
5 चिकित्सा भत्ता	3,673,701	3,483,328
6 प्रशासन व्यय	9,227,757	8,756,480
योग	75,265,533	66,198,498

अनुसूची 14– प्रसार/सेमिनार/कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, एचएफए इत्यादि पर व्यय	2021-22	2020-21
1 प्रदर्शनी एवं प्रचार	218,541	50,000
2 सेमिनार एवं सम्मेलन व्यय	317,019	422,074
3 मुद्रण, प्रकाशन एवं विज्ञापन	660,731	388,405
4 नवरीति ई–पाठ्यक्रम व्यय	295,122	327,000
5 सबके लिए आवास के तहत दस्तावेजीकरण, संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, आपदा न्यूनीकरण)	1,130,556	1,282,698
योग	2,621,969	2,470,177

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय व व्यय लेखा की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (रुपये में)

अनुसूची 15– प्रदर्शन आवास परियोजना सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी (एसएंडटी) गतिविधि पर व्यय		2021-22	2020-21
क	**भवन सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकी**		
1	लखनऊ में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	-	77,400
2	नेल्लौर में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	1,016,935	96,000
3	बिहार शरीफ, बिहार में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	18,000	334,998
4	कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रमाण योजना	776,634	736,079
5	तेलंगाना, हैदराबाद में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	96,308	-
	उप–योग (क)	1,907,877	1,244,477
ख	**आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन**		
1	भारत के भूकंप जोखिम प्रक्षेत्रीय मानचित्र के लिए मोबाइल ऐप डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन	-	40,309
	उप–योग (ग)	-	40,309
	योग (क+ख+ग)	1,907,877	1,284,786

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय व व्यय लेखा की अनुसूचियों को क्रमबद्ध करने वाला भाग

राशि (रुपये में)

अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2021-22	2020-21
1 बिहार सरकार को 46 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	51,480,000
2 बिहार सरकार को 17 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	11,820,000
3 बिहार सरकार को 10 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	33,240,000
4 बिहार सरकार को 12 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	351,120,000
5 बिहार सरकार को 18 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	148,140,000
6 बिहार सरकार को 19 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	192,900,000
7 बिहार सरकार को 20 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	97,260,000
8 बिहार सरकार को 22 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	426,060,000
9 बिहार सरकार को 2 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	3,344,000
10 बिहार सरकार को 1 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	58,860,000
11 बिहार सरकार को 3 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	228,780,000
12 बिहार सरकार को 7 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	294,960,000
13 बिहार सरकार को 24 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	366,780,000
14 बिहार सरकार को 54 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	162,780,000
15 हडको सीएलएसएस योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,500,000,000
16 हडको सीएलएसएस योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	400,000,000
17 झारखंड सरकार को 36 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	34,320,000
18 राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु सीएलएसएस) को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	30,000,000,000

अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2021-22	2020-21
19 राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु सीएलएसएस) को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	14,500,000,000
20 उत्तर प्रदेश सरकार को 46 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	319,080,000
21 उत्तर प्रदेश सरकार को 264 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	3,980,220,000
22 उत्तर प्रदेश सरकार को 296 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	4,536,780,000
23 उत्तर प्रदेश सरकार को 47 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	212,040,000
24 उत्तर प्रदेश सरकार को 154 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	2,280,120,000
25 उत्तर प्रदेश सरकार को 13 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	86,460,000
26 उत्तर प्रदेश सरकार को 121 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,624,200,000
27 उत्तर प्रदेश सरकार को 19 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	60,240,000
28 उत्तर प्रदेश सरकार को 133 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,752,300,000
29 उत्तर प्रदेश सरकार को 29 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	140,280,000
30 उत्तर प्रदेश सरकार को 113 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,400,298,860
31 उत्तर प्रदेश सरकार को 1 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	27,240,100
32 पष्चिम बंगाल सरकार को 32 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,083,120,000
33 पष्चिम बंगाल सरकार को 34 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	226,440,000
34 छत्तीसगढ़ सरकार को 467 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	646,100,000
35 झारखंड सरकार को 33 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	3,840,000
36 झारखंड सरकार को 38 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,141,020,000
37 झारखंड सरकार को 24 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	13,200,000
38 झारखंड सरकार को 17 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	58,200,000
39 झारखंड सरकार को 16 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	322,320,000
40 मध्य प्रदेश सरकार को 67 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	1,540,680,000

अनुसूची 16– एनयूएचएफ–पीएमएवाई (शहरी) के तहत ईबीआर से केंद्रीय सहायता	2021-22	2020-21
41 मध्य प्रदेश सरकार को 18 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	258,120,000
42 मध्य प्रदेश सरकार को 34 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	538,020,000
43 मध्य प्रदेश सरकार को 31 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	445,800,000
44 मध्य प्रदेश सरकार को 27 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	314,160,000
45 ओडिषा सरकार को 109 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	720,240,000
46 ओडिषा सरकार को 82 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	549,960,000
47 पष्चिम बंगाल सरकार को 57 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	197,880,000
48 भारतीय स्टेट बैंक को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	14,000,000,000
49 भारतीय स्टेट बैंक को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	5,000,000,000
50 तमिलनाडु सरकार को 147 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	526,197,940
51 तमिलनाडु सरकार को 301 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	2,747,820,000
52 तमिलनाडु सरकार को 387 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	874,070,000
53 तमिलनाडु सरकार को 18 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	336,901,000
54 तमिलनाडु सरकार को 67 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	525,120,000
55 तमिलनाडु सरकार को 34 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	282,900,000
56 तमिलनाडु सरकार को 138 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	852,720,000
57 तमिलनाडु सरकार को 164 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	145,800,000
58 तमिलनाडु सरकार को 22 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	521,040,000
59 तमिलनाडु सरकार को 26 एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	206,460,000
60 पंजाब सरकार को 151 बीएलसी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता	-	640,747,060
योग	-	99,999,978,960

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

अनुसूची 17– महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

सिंहावलोकन

वर्ष 1990 में स्थापित निर्माण सामग्री एंव प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का अनुदान सहायता प्राप्त एक स्वायत संगठन है। बीएमटीपीसी को बड़े पैमाने पर क्षेत्र अनुप्रयोग हेतु आपदा रोधी निर्माण प्रथा सहित किफायती पर्यावरणनुकूल, ऊर्जा दक्ष एवं उभरती निर्माण सामग्री एवं निमार्ण प्रौद्योगिक प्रोत्साहित तथा हस्तांतरित करने के कार्य सौंपे गये हैं।

1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) **लेखांकन प्रणालीः** लेखा भारत में लागू सिद्धातों एवं अधिसूचित लेखांकन मानकों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए तैयार किए गये हैं।

ख) **संपत्ति, संयत्र एवं उपकरणः** आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रदत्त अर्जन में से संचित मूल्यह्रास घटाकर आई की लागत को अचल आस्तियां दर्शाया गया है। सभी अचल आस्तियां को सामान्य वित्तीय नियम, 1963 एवं अब तक संशोधित नियमों व विनियमों के अनुसार मानी गई हैं।

ग) **मूल्यह्रासः** मूल्यह्रास को कम हुई दरों पर एवं आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिश्ट रीति में प्रदान किया गया है।

घ) **सरकारी अनुदानः**

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान की गणना आईसीएआई द्वारा जारी 'सरकारी अनुदान हेतु लेखांकन' पर लेखांकन मानक 12 के अनुसार की गई है।

(ii) विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त अभिनिर्धारित निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जिसके लिए निधि प्राप्त हुई है एवं ऐसी निधियों के अव्ययित शेष को पूर्णतया प्रयुक्त होने अथवा वापस किए जाने तक अग्रेनीत किया गया है।

ङ) **सेवानिवृत्ति हितलाभ–**

(i) परिषद् अपने स्वयं के भविश्य निधि न्यास में अंशदान करता है जिसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा मान्यता दी गयी है एवं वर्ष के दौरान भविश्य निधि न्यास अदा किए गये अंशदान को राजस्व में प्रभारित किया गया है।

(ii) परिषद् ने सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह उपदान नकद संचय पॉलिसी और समूह अवकाश नकदीकरण पॉलिसी ली है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को किये गये भुगतान को भुगतान वर्ष में आय में प्रभारित किया गया है।

च) सामान्यः विशेषतौर पर उल्लखित न की गई लेखांकन नीतियां आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप अन्यथा हैं।

2 फुटकर देयताएंः परिषद् पर किए गये दावों को कर्ज–षून्य के तौर पर अभिस्वीकृत नहीं किया गया है।

3 प्रबंधन के अभिमत में चालू आस्तियों, ऋणों एवं कारोबार के सामान्य तरीके में दिये गये अग्रिम राशियों की वसूली पर राशि तुलन–पत्र में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगी। इसके अतिरिक्त लेखाओं में सभी ज्ञात देयताओं के प्रावधान किए गये हैं।

4 परिषद् आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और इसकी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार खातों में आयकर का प्रावधान नहीं किया गया है। परिषद् नियमित तौर पर टीडीएस, जीएसटी एवं अन्य सांवधिक देयताएं जमा कर रहा है।

5 **आय और व्ययः** चूंकि आय और व्यय लेखा षीर्श बड़ी संख्या में हैं, समान प्रकृति के व्यय और राजस्व और विभिन्न षीर्शों के अंतर्गत आने वाले वित्तीय विवरणों की बेहतर प्रस्तुति के लिए आवश्यकतानुसार एक साथ जोड़ा गया है।

6 परिषद् ने समूह उपदान नकद संचय (जीजीसीए) पॉलिसी और समूह अवकाश नकदीकरण योजना (जीएलईएस) पॉलिसी के संबंध में वर्ष के दौरान प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है।

7 विश्वव्यापी कोविड –19 महामारी के प्रकोप और इसके कारण कई देशों में लॉकडाउन ने परिषद् की गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। प्रबंधन ने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कोविड –19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और और अपेक्षा करता है कि संचालन की निरंतरता या दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े।

8 क) आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एन–11022/1/2018–एचएफए -III–यूडी (सी. सं. 9035628) दिनांक 14.03.2018 के माध्यम से बीएमटीपीसी निमनलिखित की सूचना दी है:
मंत्रीमंडल ने 20.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ हमारे मंत्रालय के निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं:

- वित्त मंत्रालय से परामर्श करके पीएमएवाई (शहरी) परियोजनाओं के लिए चार वर्षों में ऋणदाता एजेंसी अथवा वित्तीय संस्थान के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त बटजीय संसाधन (ईबीआर) से निधियां जुटानाय
- बीएमटीपीसी को भारत सरकार की ओर से ऋण लेना एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सलाह पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को पीएमएवाई (शहरी) के लिए संवितरित करना
- भारत सरकार ऋण का परिषोधन करेगी एवं सहमत नियम व शर्तों पर जो वित्त मंत्रालय द्वारा विनिश्चित किए गये हैं, पर चुकौती के दायित्वों की पूर्ति करेगी।

ख) उपरोक्त को देखते हुए, मूलधन और ब्याज की राशि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आवंटित निधि से पूरी की जाएगी और राशि की प्रभावकारी निश्चितता है, वसूली योग्य अपेक्षित राशि को अलग संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है अर्थात गैर–चालू संपत्ति और एनएसएसएफ/हुडको से प्राप्त ऋण तुलन पत्र में दीर्घकालिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

ग) वर्ष के दौरान, परिषद् को भारत सरकार की ओर से एनएसएसएफ से षून्य़ रुपये (गत वर्ष 10,000 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई और पीएमएवाई (यू) योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को शून्य़ रुपये (गत वर्ष 9999.99 करोड़ रुपये) संवितरित की गई। संवितरण का विवरण अनुसूची 16 में दर्शाया गया है।

घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई (शहरी) कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के तहत लिए गए ऋणों पर ऋणदाताओं को देय मूलधन और ब्याज, परिषद् को प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से उधार लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ ब्याज भुगतान की नियत तारीखों पर प्रदान की जाने वाली रसीदों से किया जाएगा। तदनुसार, ब्याज व्यय/आय को आय और व्यय खाते के माध्यम से दर्शाया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में वर्तमान देयता/चालू आस्ति के रूप में दर्शाया गया है।

ङ) विभिन्न हल्के आवास परियोजनाओं और राष्ट्रीय शहरी आवास निधि के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त धन पर अर्जित ब्याज मंत्रालय को प्रतिदेय है। तदनुसार इन निधियों पर अर्जित ब्याज को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के देय देनदारी के रूप में दर्शाया गया है (अनुसूची 5–चालू देयताएं और प्रावधान देखें)

9 जहां भी आवश्यक समझा गया आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित एवं पुनः समूहित किया गया है एवं उपरोक्त कथोक्त सभी सूचना प्रबंधन द्वारा दी गयी है एवं लेखापरीक्षकों ने उन आंकड़ों पर भरोसा किया है।

10 अनुसूची 1 से 17 अंत में जोड़े गये हैं एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एस. शेखोन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003671एन

ह0/–
राजीव टंडन
साझीदार
सदस्यता सं. 87343

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
पंकज गुप्ता	शरद कुमार गुप्ता	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल
वित्त अधिकारी	प्रमुख–वित्त (प्रभारी)	कार्यकारी निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.09.2022

अनुबंध I

संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता

संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता

I. प्रदर्शनी

परिषद् ने प्रदर्शनी में बीएमटीपीसी के विभिन्न क्रियाकलापों का प्रदर्शन करते हुए ''भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला'' में सहभागिता की। ''भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला'' का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5–7 अक्तूबर, 2021 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया था। इस मेले का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री ने किया था।

II. वेबिनार/वीडियो कॉन्फ्रेंस/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि

- 29 अप्रैल, 2021 को एसोचेम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आवास प्रौद्योगिकियां एवं नवाचावर को अनुकूलित करना–आगे की राह पर वेबिनार।
- नवरीति का तृतीय बैचः 30 अप्रैल से 7 मई, 2021 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
- नवरीति का चतुर्थ बैचः 4 से 11 जून, 2021 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
- नवरीति का पंचम बैचः 16 से 23 जुलाई, 2021 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
- 30 जुलाई, 2021 को टनल फॉर्मवर्क सिस्टम पर सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों और उनके फैकल्टी सदस्यों, टेक्नोग्राहियों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट राजकोट में स्थलीय प्रशिक्षण।
- 7 अगस्त, 2021 को पीवीसी वॉल फॉर्म में प्री–फिनिश्ड स्टे के साथ स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम का उपयोग करते हुए इल्की आवास परियोजना लखनऊ पर टेक्नोग्राहियों को स्थलीय प्रशिक्षण
- 9 अगस्त, 2021 को एनआईसीईई और आईआईटी, कानपुर द्वारा आयोजित निर्मित पर्यावरण में भूकंप रोधी प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
- यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा द्वारा 19–20 अगस्त, 2021 को आयोजित नेक्स्ट जेनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर वेबिनार
- 23 अगस्त, 2021 को स्मार्ट सिटीज मिशन के सहयोग से साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एसएआईएआरडी) द्वारा आयोजित ''समावेशी शहरीकरण और हरित प्रौद्योगिकी'' पर वेबिनार
- 2 सितंबर, 2021 को यूएडीडी, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एमआईटीएस, ग्वालियर द्वारा ''आवास पर संवाद'' – ''प्रौद्योगिकी और नवाचार'' पर संगोष्ठी।

- नवरीति का शष्ठम बैचः 27 अगस्त से 3 सितंबर, 2021 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

- 5 अक्तूबर, 2021 को माननीय राज्य मंत्री (एचयूए) द्वारा उद्घाटन वीसी के माध्यम से विश्व पर्यावासस दिवस 2021 समारोह

- 11–12 नवंबर, 2021 को ''डेवलपमेंट इंडिया एज ए ग्लोबल हब'' पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीआईआई ग्लोबल स्टील षिखर सम्मेलन।

- नवरीति का सप्तम बैचः 12 से 19 नवंबर, 2021 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

- 29 नवंबर, 2021 को वास्तुकला परिषद् द्वारा आयोजित संकाय विकास कार्यक्रम

- 17 दिसंबर, 2021 को वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के दौरान ''शहरी आवास और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग'' पर सत्र।

- 22 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से एनआईडीएम द्वारा ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन के लिए क्षमता वर्धन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 23 दिसंबर, 2021 को गुरुग्राम में आईसीआई और अल्ट्राटेक द्वारा कंक्रीट दिवस समारोह का आयोजन।

- 4 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली में आईबीसी द्वारा ''भविष्य के लिए सतत निर्मित पर्यावरण'' पर 25वां वार्षिक सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी

- 13 जनवरी, 2022 को एमबीएस, एसपीए के सहयोग से वास्तुकला परिषद् (सीओए) – प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र द्वारा आयोजित ''परिणाम आधारित षिक्षा – वास्तुकला एवं योजना षिक्षा में बेहतर प्रथाएं'' पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम।

- नवरीति का अष्ठम बैचः 14 से 21 जनवरी, 2022 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

- 9 फरवरी, 2022 को बीसीसीएंडआई इंफ्रास्ट्रक्चर ई कॉन्क्लेव के दौरान शहरी इन्फ्रा : ''बेहतर आवास के माध्यम से जीने का नया युग'' पर विशेष पूर्ण सत्र।

- 4 मार्च, 2022 को भवनों और बुनियादी ढांचे के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर बीपीसीएल इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए ऑनलाइन सत्र।

- 13 मार्च, 2022 को राजकोट साइट के आभासी दौरे के बाद नई तकनीकों पर प्रशिक्षण देने पर राजकोट में हल्की आवास परियोजना पर वेबिनार।

- 24 मार्च, 2022 को इंदौर साइट के आभासी दौरे के बाद नई तकनीकों पर प्रशिक्षण देने पर इंदौर में हल्की आवास परियोजना पर वेबिनार।

- 30 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित ''स्वतंत्र भारत के निर्माण में निर्माण उद्योग का योगदान'' पर संगोष्ठी

- नवरीति का नवम बैचः 25 मार्च से 1 अप्रैल, 2022 तक नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

III. तकनीकी समिति/कार्य समूह/ बैठकें आदि

- 7 अप्रैल, 2021 को एनडीएमए द्वारा भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर चर्चा करने के लिए आभासी बैठक।

- 4 जून, 2021 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बीएमटीपीसी की कार्यकारी समिति की 60वीं बैठक।

- 7 जून, 2021 को आईआईटी और सीएसआईआर के सहयोग से घरेलू नवाचारों को तैयार करने के लिए किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक (आशा) – इंडिया की बैठक।

- 8 जून, 2021 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 54वीं बैठक।

- जीएचटीसी–इंडिया के तहत हल्के आवास परियोजना (एलएचपी) की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव, एमओएचयूए की अध्यक्षता में 09.06.2021 को परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) की चौथी बैठक।

- 3 जुलाई, 2021 माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एलएचपी परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट के संबंध में आभासी बैठक।

- 16 जुलाई, .2021 को जीएचटीसी–इंडिया के तहत छह राज्यों में एलएचपी के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव, एमओएचयूए की अध्यक्षता में परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) की 5वीं बैठक।

- 16 अगस्त, 2021 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 55वीं बैठक।

- 17 अगस्त, .2021 को जीएचटीसी–इंडिया के तहत छह राज्यों में एलएचपी के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव, एमओएचयूए की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमसी की छठी बैठक।

- 27 अगस्त, 2021 को एनएआरईडीसीओ की शासी परिषद् की 120वीं बैठक

- 14 सितंबर, 2021 को एनएआरईडीसीओ की 23वीं वार्षिक आम बैठक।

- 23 नवंबर, 2021 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 56वीं बैठक।

- 23 दिसंबर, 2021 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 56वीं बैठक।

- 23 दिसंबर, 2021 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से एमओआरटीएच, भारत सरकार, नई दिल्ली में ''नई सामग्री और तकनीकों के प्रत्यायन'' के लिए समिति की बैठक।

- 21 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बीएमटीपीसी की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक।

- 15 फरवरी, 2022 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 58वीं बैठक

- 11 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) की 18वीं बैठक।

- 23 मार्च, 2022 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 59वीं बैठक।

- 30 मार्च, 2022 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 60वीं बैठक

- निर्माण क्षेत्र में स्टील के उपयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यदल की अनेक बैठकें।

- आवास पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए नागरिक अवसंरचना (आवास) पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आईएनएई) फोरम द्वारा कार्यकारी समूह की अनेक ऑनलाइन बैठकें।

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना (सीसीआईएस), 2007 के तहत सब्सिडी प्रदान करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनेक बैठकें।

IV. अन्य

- एसपीए, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के छात्रों और अन्य कॉलेजों के छात्रों, पेशेवरों, उद्यमियों को नई और पर्यावरणनुकूल निर्माण सामग्री/प्रौद्योगिकियों पर मार्गदर्शन करना, और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए भवनों के स्थायित्व मानकों (अवशोषित ऊर्जा, थर्मल कंफर्ट, संसाधन संरक्षण और दक्षता) पर मार्गदर्शन करना।

अनुबंध II

प्रस्तुतिकरण सहित प्रस्तुत/प्रकाशित आलेख आदि

- बीएमटीपीसी और योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली और आई. के. इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा ''आवास के लिए वैकल्पिक एवं नवोन्मेषी निर्माण प्रणाली'' नामक पुस्तक का संयुक्त रूप से प्रकाशन।
- 7 अप्रैल, 2021 को नीति और योजना प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर प्रस्तुतिकरण।
- 29 अप्रैल, 2021 को एसोचेम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आवास प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेश के अनुकूलन पर वेबिनार के दौरान उभरती आवास प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतिकरण।
- नवरीति के तृतीय बैच 30 अप्रैल से 7 मई, 2021 : उभरती निमार्ण प्रणाली पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- 20 मई, 2021 को भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) रांची के इंजीनियरों के लिए नवोन्मेषी निर्माण तकनीकों पर प्रस्तुतिकरण।
- नवरीति के चतुर्थ बैच 4 से 11 जून, 2021 : उभरती निमार्ण प्रणाली पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- नवरीति के पंचम बैच 16 से 23 जुलाई, 2021 : उभरती निमार्ण प्रणाली पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- 3 अगस्त, 2021 को एनआईडीएम में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन – भारत में जोखिम अतिसंवेदनशीलता पर प्रस्तुतिकरण।
- 9 अगस्त, 2021 को एनआईसीईई और आईआईटी कानपुर द्वारा निर्मित पर्यावरण में भूकंप रोधी प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर प्रस्तुतिकरण।
- यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा द्वारा 19–20 अगस्त, 2021 को आयोजित नेक्स्ट जेनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर वेबिनार के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रौद्योगिकियां पर प्रस्तुतिकरण।
- 23 अगस्त, 2021 को स्मार्ट सिटीज मिशन के सहयोग से साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ''समावेशी शहरीकरण और हरित प्रौद्योगिकी'' पर वेबिनार के दौरान सतत विकास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- नवरीति के शष्ठम बैच 27 अगस्त से 3 सितंबर, 2021 : उभरती निमार्ण प्रणाली पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- 20 सितंबर, 2021 को भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र वेबिनार के दौरान भारत के अतिसंवेदनशीलता मानचित्र पर प्रस्तुतिकरण।
- 5–7 अक्तूबर, 2021 तक लखनऊ में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेले के दौरान सतत निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतिकरण।
- 5–7 अक्तूबर, 2021 के दौरान लखनऊ में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेले के दौरान नई सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण और प्रमाणन पर प्रस्तुतिकरण।
- 8 नवंबर, 2021 को इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित इस्पात पर विशेषज्ञ समूह की बैठक के दौरान सामूहिक आवास के लिए उभरती इस्पात आधारित निर्माण तकनीकों पर प्रस्तुतिकरण।
- 11–12 नवंबर, 2021 को सीआईआई ग्लोबल स्टील समिट के दौरान ःडेवलपमेंट इंडिया एज ए ग्लोबल हब'' पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उभरती आवास प्रौद्योगिकियां पर प्रस्तुतिकरण।
- नवरीति के सप्तम बैच 12 से 19 नवंबर, 2021 : उभरती निमार्ण प्रणाली पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- 23 नवंबर, 2021 को हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया द्वारा आयोजित 8वें इंडिया हाउसिंग फोरम 2021 के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियां पर प्रस्तुतिकरण।
- 1 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के दौरान सामूहिक आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- 23 दिसंबर, 2021 को गुरुग्राम में आईसीआई और अल्ट्राटेक द्वारा आयोजित कंक्रीट डे समारोह के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियां पर प्रस्तुतिकरण।
- 13 जनवरी, 2022 को एमबीएस, एसपीए के सहयोग से वास्तुकला परिषद् (सीओए) – प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र द्वारा आयोजित ''परिणाम आधारित षिक्षा – वास्तुकला एवं योजना षिक्षा में बेहतर प्रथाएं'' पर राष्ट्रीय ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियां पर प्रस्तुतिकरण।
- नवरीति के अष्ठम बैच 14 से 21 जनवरी, 2022 : उभरती निमार्ण प्रणाली पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।

- 9 फरवरी, 2022 को बीसीसीएंडआई इंफ्रास्ट्रक्चर ई कॉन्क्लेव के दौरान शहरी इन्फ्रा : ''बेहतर आवास के माध्यम से जीने का नया युग'' पर विशेष पूर्ण सत्र के दौरान टिकाऊ विकास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियां पर प्रस्तुतिकरण।
- 4 मार्च, 2022 को भवनों और बुनियादी ढांचे के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर बीपीसीएल इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए ऑनलाइन सत्र के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- 30 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित ''स्वतंत्र भारत के निर्माण में निर्माण उद्योग का योगदान'' पर संगोष्ठी के दौरान टिकाऊ विकास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- नवरीति के नवम बैच 25 मार्च से 1 अप्रैल, 2022 : उभरती निमार्ण प्रणाली पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान जन आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण।
- एसपीए, नई दिल्ली के ''सामग्री और प्रौद्योगिकी'' विषय पर मास्टर ऑफ प्लानिंग (हाउसिंग) के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अनेक प्रस्तुतिकरण।

अनुबंध III

वर्ष के दौरान प्रकाशित पुस्तकें

1. विश्व पर्यावास दिवस 2021 के ''कार्बन मुक्त विश्व के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी'' विषय पर न्यूजलैटर ''निर्माण सारिका'' का विशेषांक
2. उभरती निर्माण प्रणालियों पर लघु पुस्तिका का चतुर्थ संस्करण
3. निर्माण प्रौद्योगिकियों पर बीएमटीपीसी और सीएसआईआर–सीबीआरआई सार–संग्रह
4. पीएमएवाई(यू) के तहत नवोन्मेषी आवास प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर लघु पुस्तिका
5. भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेले में दर्शाई गई स्वदेशी निर्माण सामग्री एवं निर्माण पर सार संग्रह का प्रकाशन

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर–5ए, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003
फोनः 91-11-24636705, 24638097, फैक्सः 91-11-24642849
ई–मेलः info@bmtpc.org

@bmtpcdelhi bmtpc.mhua www.bmtpc.org